

Sixteenth Lok Sabha
XVII Session (31/01/2019 to 13/02/2019)

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 31 जनवरी, 2019/11 माघ, 1940 (शक)

संख्या 322

अपराह्न 12.44 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

अपराह्न 12.45 बजे

2. राष्ट्रपति का अभिभाषण — सभा पटल पर रखा गया

महासचिव ने 31 जनवरी, 2019 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

अपराह्न 12.46 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 1 फरवरी, 2019 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 1 फरवरी, 2019/12 माघ, 1940 (शक)

संख्या 323

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अंतरिम बजट — 2019-2020

श्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2019-2020 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.43 बजे

2. राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अंतर्गत सभा पटल रखे गए विवरण

श्री पीयूष गोयल ने राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 3 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखे:—

- (1) मध्यम—अवधि राजवित्तीय नीति सह राजवित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण; और
- (2) वृहत—आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण।

3. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

वित्त विधेयक, 2019

अपराह्न 12.45

(लोक सभा सोमवार, 4 फरवरी, 2019 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 4 फरवरी, 2019/15 माघ, 1940 (शक)

संख्या 324

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री केयूर भूषण, सदस्य सातवीं और आठवीं लोक सभा; श्री बटेश्वर हेमराम, सदस्य छठी लोक सभा; श्री वाई जी महाजन, सदस्य तेरहवीं और चौदहवीं लोक सभा; डॉ० जी० आर० सरोड़े, सदस्य दसवीं और ग्यारहवीं लोक सभा; श्री जलागम कोंडला राव, सदस्य छठी और सातवीं लोक सभा; श्री के० कृष्णमूर्ति, सदस्य बारहवीं लोक सभा, श्री भानु प्रकाश सिंह, सदस्य तीसरी और चौथी लोक सभा तथा श्री जॉर्ज फर्नांडिस, सदस्य चौथी, छठी, सातवीं तथा नौवीं से चौदहवीं लोक सभा के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 1 और 2 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.16 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 3—20 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1—230 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:

संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

- (1) राष्ट्रपति द्वारा 12 जनवरी, 2019 को प्रख्यापित मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 1)।
- (2) राष्ट्रपति द्वारा 12 जनवरी, 2019 को प्रख्यापित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 2)।
- (2) राष्ट्रपति द्वारा 12 जनवरी, 2019 को प्रख्यापित कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 3)।

5. विधेयकों पर अनुमति

महासचिव ने सोलहवीं लोक सभा के सोलहवें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त पांच विधेयक सभा पटल पर रखे।

- (I) महासचिव ने सोलहवीं लोक सभा के सोलहवें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 4 विधेयक सभा पटल पर रखे:—
 1. राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास (संशोधन) विधेयक, 2018;
 2. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019;
 3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019; और
 4. विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 2018

(II) महासचिव ने संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त संविधान (एक सौ तीनवां संशोधन) विधेयक, 2019 की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् अधिप्रमाणित एक प्रति भी सभा पटल पर रखी।

6. राष्ट्रीय जूट बोर्ड के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उप-धारा 4 के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अधधीन राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

#अपराह्न 12.03 बजे

7. सदस्यों द्वारा निवेदन

निम्नलिखित सदस्यों ने सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस के बीच कथित टकराव के बारे में निवेदन किया:—

1. प्रो० सौगत राय
2. श्री भर्तृहरि महताब
3. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे
4. श्री मोहम्मद बदरुद्दोजा खान
5. श्री धर्मेन्द्र यादव
6. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
7. श्रीमती सुप्रिया सुले
8. श्री सौमित्र खान

#अपराह्न 12.03 बजे से अपराह्न 12.27 बजे तक, सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

श्री पी०के० बिजू, श्री एम०बी० राजेश और श्री शंकर प्रसाद दत्ता सहयोजित हुए।

*श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.27 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 2.01 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.01 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

- (1) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कालपी से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर फ्लाई ओवर के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन का आविष्कार किए जाने के बारे में।
- (3) श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा मेडिकल ट्रिब्यूनल की स्थापना के बारे में।
- (4) श्री निशिकांत दुबे द्वारा झारखंड में संथाल परगना के खेतौरी, घटवाल-घटवार समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी द्वारा राजस्थान के बाड़मेर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में विकास कार्य प्रारंभ किए जाने और जनता को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री राहुल कास्वां द्वारा समझौते के अनुसार राजस्थान को यमुना नदी से उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराए जाने के बारे में।
- (7) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा जीएसटी रिफंड के दावों की प्रक्रिया का सरलीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा झारखंड में साक्षर भारत मिशन से संबद्ध कर्मियों के समक्ष आने वाली समस्याओं के बारे में।

- (9) डॉ० उदित राज द्वारा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन किए जाने के बारे में।
- (10) श्रीमती जयश्रीबेन पटेल द्वारा गुजरात में रेलवे लाइनों का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री प्रह्लाद वेंकटेश जोशी द्वारा कर्नाटक के हुबली-धारवाड़ में आयकर अपीलिय न्यायाधिकरण की स्थापना किए जाने के बारे में।
- (12) श्री एम०के० राघवन द्वारा खाड़ी देशों से अनिवासी भारतीयों के पार्थिव शरीर को देश में निःशुल्क लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) डॉ० शशि थरूर द्वारा एक पृथक मात्स्यिकी मंत्रालय का सृजन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री पी०आर० सुन्दरम द्वारा तमिलनाडु के नामाक्कल जिले के कुक्कटपालकों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्रीमती के० मरगथम द्वारा महिला आरक्षण विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री दिनेश त्रिवेदी द्वारा भारत में हाथ से मैला साफ किए जाने के बारे में।
- (17) प्रो० सौगत राय द्वारा अयोध्या में अविवादित भूमि को वापस दिए जाने के बारे में।
- (18) श्री रवीन्द्र कुमार जेना द्वारा ओडिशा के बालासोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बास्ता स्थित समपार संख्या 61 पर सड़क ऊपरि-पुल का निर्माण किए जाने के बारे में।
- (19) श्री गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर द्वारा बम्बई उच्च न्यायालय का नाम बदले जाने के बारे में।
- (20) श्री जैदेव गल्ला द्वारा विभिन्न उत्पादों पर जीएसटी के अधिरोपण की पद्धति में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (21) श्री पी०के० बिजू द्वारा केरल के अलथूर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में नेनमारा में एक डाक घर पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किए जाने के बारे में।
- (22) मोहम्मद फैज़ल पी०पी० द्वारा दानिक्स में लक्षद्वीप की जनता का प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने के लिए दानिक्स नियमावली में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा हरियाणा में लंबित रेल परियोजनाओं के बारे में।

अपराह्न 2.04 बजे

(सभा में व्यवधान के कारण लोक सभा मंगलवार, 5 फरवरी, 2019 के
पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 5 फरवरी, 2019/16 माघ, 1940 (शक)

संख्या 325

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 21 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.06 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 22—40 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 231—460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

#3. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने सभा में समुचित शिष्टाचार बनाए रखे जाने के संबंध में टिप्पणी की तथा सदस्यों से संयम बरतने का आग्रह किया।

*पूर्वाह्न 11.05 बजे। मूल हिन्दी में। विवरण के लिए, कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) का०आ० 4998(अ) जो 27 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं० का०आ० 371(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
 - (दो) का०आ० 6353(अ) जो 27 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं० का०आ० 371(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (क) (एक) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (ख) (दो) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) कीटनाशी (दूसरा संशोधन) नियम, 2018 जो 13 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1204(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) कीटनाशी (दूसरा संशोधन) नियम, 2019 जो 4 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 11(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) का०आ० 45(अ) जो 4 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित पदार्थों को कीटनाशी अधिनियम, 1968 की अनुसूची में शामिल किया गया है।

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत औषध (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2019, जो 3 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 39(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कार्य मंत्रणा समिति का 61वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

6. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने लोक लेखा समिति (2018-19) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'भेषज क्षेत्र में निर्धारितियों का निर्धारण' विषय संबंधी 136वां प्रतिवेदन।

(2) 'एयर कॉम्बेट मैनुवरिंग इंस्ट्रुमेंटेशन सिस्टम का प्रापण' विषय संबंधी 137वां प्रतिवेदन।

7. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री पी०सी० गद्दीगौदर ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2018-2019) का 40वां प्रतिवेदन (मूल) और 41वां (की-गई-कार्रवाई) प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. मंत्री द्वारा वक्तव्य

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने गृह मंत्रालय से संबंधित, देश में आपदा प्रबंधन पर गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 178वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर समिति के 188वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

*अपराहन 12.05 बजे

9. अनुदानों की अनुपूरक मांगें

श्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2018-19 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराहन 12.28 बजे स्थगित हुई तथा अपराहन 2.01 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 2.01 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

- (1) डॉ॰ किरिट सोमैया द्वारा मुम्बई के घाटकोपर और कांजूर में सम्पत्तियों के पुनर्विकास के लिए नौसेना द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए जाने में विलम्ब के बारे में।
- (2) श्री अजय मिश्रा (टेनी) द्वारा रेल के कुलियों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के बारे में।
- (3) श्री कीर्ति (झा) आजाद द्वारा दरभंगा, बिहार में एम्स स्थापित किए जाने के बारे में।
- (4) श्री रत्न लाल कटारिया द्वारा यमुनानगर-चंडीगढ़ रेल लाइन के निर्माण और अम्बाला रेलवे स्टेशन के उन्नयन के लिए धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री निहाल चन्द चौहान द्वारा गायों की देख-रेख और उनके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार में बागमती एवं लालबकाया नदियों पर पुल का निर्माण किए जाने के बारे में।
- (7) श्री मनसुखभाई डी॰ वसावा द्वारा गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था किए जाने और चिकित्सकों की उपस्थिति को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराहन 12.06 बजे से अपराहन 12.28 बजे तक, सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (8) श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण द्वारा प्याज के निर्यात को बढ़ावा दिए जाने और इसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री राम टहल चौधरी द्वारा झारखंड में मनरेगा में कार्यरत श्रमिकों की सेवाएं नियमित किए जाने और उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री रामचरण बोहरा द्वारा इलेक्ट्रोपैथी को एक चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता दिए जाने के बारे में।
- (11) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा नई दिल्ली स्थित एम्स, में संसद सदस्यों की अनुशंसा पर रोगियों का तत्काल उपचार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री रामेश्वर तेली द्वारा तिनसुकिया और बीकानेर के बीच एक वातानुकूलित रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री एस० पी० मुद्दाहनुमे गौड़ा द्वारा कर्नाटक के तुमकुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में नई रेल परियोजनाओं के बारे में।
- (14) श्री आर० ध्रुवनारायण द्वारा बाल विवाह का उन्मूलन करने के लिए कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के बारे में।
- (15) श्री आर० पी० मरुदराजा द्वारा तमिलनाडु के पेराम्बलूर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में एक एकीकृत पशुचिकित्सा पार्क की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री जी० हरि द्वारा तमिलनाडु के अराकोणम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में रेल से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में।
- (17) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा पश्चिम बंगाल के आरामबाग संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में खानाकुल में एक नए उप डाकघर भवन का निर्माण किए जाने के बारे में।
- (18) प्रो० (डॉ०) ममताज संघमिता द्वारा रेल कुलियों की समस्याओं के बारे में।
- (19) डॉ० कुलमणि सामल द्वारा ओडिशा में कटक और पारादीप के बीच स्थित सभी रेलवे स्टेशनों पर मूलभूत सुविधाओं के बारे में।
- (20) श्री के० राम मोहन नायडू द्वारा आंध्र प्रदेश में एक पृथक रेलवे जोन स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (21) श्री तेज प्रताप सिंह यादव द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (22) श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा पंजाब में वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए मूलभूत संरचना के बारे में।
- (23) श्री राधेश्याम बिश्वास द्वारा असम में हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की दो इकाइयों को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (24) एडवोकेट जोएस जॉर्ज द्वारा प्राकृतिक रबर के आयात के लिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स (एसआईओएन) को संशोधित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.02 बजे

11. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा अनुशंसित समय : 8 घंटे

लिया गया समय : 4 घंटे 12 मिनट

शेष समय : 3 घंटे 48 मिनट

श्री हुक्मदेव नारायण यादव ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए—

“कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 31 जनवरी, 2019 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।”

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 2.20 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.30 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.30 बजे

श्री हुक्मदेव नारायण यादव ने अपना भाषण पुनः आरंभ किया।

श्री जगदंबिका पाल ने प्रस्ताव का समर्थन किया और बोले।

अपराहन 3.19 बजे

तत्पश्चात्, अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

“वे माननीय सदस्य जिनके धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन परिचालित किए गए हैं, यदि अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे उन संशोधनों, जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं, के क्रमांकों को दर्शाने वाली पर्चियां 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर भेजे दें। केवल उन्हीं संशोधनों जिनके संबंध में निर्धारित समय-सीमा के भीतर पर्चियां सभा पटल पर प्राप्त हुई हैं, को पेश किया गया माना जाएगा।

पेश किए गए माने गए संशोधनों के क्रमांकों को दर्शाने वाली एक सूची इसके तत्काल पश्चात् सूचना पटल पर लगाई जाएगी। यदि सदस्यों को सूची में कोई विसंगति दिखाई देती है, तो वे कृपया इसे तुरंत पटल पर उपस्थित अधिकारियों के ध्यान में लाएं”।

दो सौ बयालीस (164—231, 233—250, 262—317, 366—399, 409, 410, 419—421, 436—447, 448—450, 489—503, 939—965, 979—982) संशोधन पेश किए किए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराहन 3.26 बजे स्थगित हुई और अपराहन 4.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 4.00 बजे

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री भृतरहरि महताब
2. डॉ. पी. वेणुगोपाल
3. श्री मधुकरराव यशवंतराव कुकडे
- *4. श्रीमती सुप्रिया सुले
- *5. श्रीमती नारणभाई काछड़िया
- *6. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल
- *7. प्रो. प्रसन्न कुमार पाटसाणी

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- *8. डॉ. कुलमणि सामल
- *9. श्री रामचरण बोहरा
- *10. श्रीमती रंजनबेन भट्ट
- *11. श्रीमती रमा देवी
- *12. श्री तेज प्रताप सिंह यादव
- *13. श्री जी० हरि
- *14. श्री ए० अरुणमणिदेवन
- *15. श्री पी० कुमार
- *16. श्री वेंकटेश बाबू टी०जी०
- 17. श्री रत्न लाल कटारिया
- 18. श्री धर्मेन्द्र यादव
- *19. श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम
- *20. श्रीमती संतोष अहलावत
- 21. श्री गणेश सिंह
- 22. श्रीमती बुत्ता रेणुका
- *23. श्री सत्यपाल सिंह
- *24. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी
- 25. श्री सुरेश सी० अंगड़ी
- 26. श्री सी०एन० जयदेवन
- 27. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
- *28. डॉ० पी०के० बिजू
- 29. श्री के० अशोक कुमार
- 30. श्री निहाल चंद
- 31. श्री तोखेहो
- 32. श्री दुष्यंत चौटाला

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

33. श्री शरद त्रिपाठी

*34. श्रीमती वी० सत्यबामा

35. श्री कौशलेन्द्र कुमार

36. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सांय 7.00 बजे

(लोक सभा बुधवार, 6 फरवरी, 2019 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए
स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 6 फरवरी, 2019/17 माघ, 1940 (शक)

संख्या 326

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने लोक सभा के वर्तमान सदस्य, श्री लडू किशोर स्वाई के निधन के बारे में उल्लेख किया।

दिवंगत आत्मा के सम्मान में सदस्य थोड़ी देर मौन खड़े रहे और तत्पश्चात् सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।

2. प्रश्न

निधन संबंधी उल्लेख के पश्चात् सभा के स्थगित हो जाने के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 41—60 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 461—690 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 7 फरवरी, 2019 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 7 फरवरी, 2019/18 माघ, 1940 (शक)

संख्या 327

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने 15वीं लोक सभा के सदस्य, श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

सदस्य, जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न 61 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा।

तारांकित प्रश्न संख्या 62, 64 और 66 के मौखिक उत्तर दिए गए।

सदस्य जिनके नाम तारांकित प्रश्न सं० 63 (73 के साथ जोड़ा गया) सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा। प्रश्न सं० 63 (73 के साथ जोड़ा गया) के अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

सदस्य जिनके नाम तारांकित प्रश्न सं० 65 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा। प्रश्न सं० 65 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 67—80 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 691—920 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराहन 12.02 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग, स्टाफ कार ड्राइवर (स्पेशल ग्रेड), (ग्रेड-I), (ग्रेड-II), और (ऑर्डिनरी ग्रेड) समूह 'ख' और 'ग' पद भर्ती नियम, 2018 जो 3 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 384 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।
- (2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 320(5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2018 जो 27 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 1239(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2019 जो 18 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 38(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (3) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 9) जो 13 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 116-06/2017-एनएसएल-II में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक अधिमान (संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 10) जो 21 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 311-04/2017-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 21 दिसम्बर, 2018 की अधिसूचना संख्या 311-04/2017-क्यूओएस में प्रकाशित हुआ था।

- (तीन) दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं, सेवा की गुणवत्ता के मानक और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल सिस्टम्स) (संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का 11) जो 28 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 21-4/2018-बीएंडसीएस में प्रकाशित हुए थे।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) सत्यजीत रे फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सत्यजीत रे फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (11) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे:—
- (एक) डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड, सिलवासा के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड, सिलवासा का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (12) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सांका० 1208(अ) जो 14 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मर्मगाओ पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2018 का अनुमोदन किया गया है।
 - (दो) सांका० 1143(अ) जो 29 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2018 का अनुमोदन किया गया है और उसका शुद्धिपत्र जो 4 जनवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या सांका०सं० 7(अ) में प्रकाशित हुआ था।
 - (तीन) सांका० 6(अ) जो 4 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2019 का अनुमोदन किया गया है।
- (13) (एक) इंडियन मेरिटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन मेरिटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 - (तीन) इंडियन मेरिटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (15) (एक) सेंटर फॉर मैटिरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी (सी-मैट), पुणे के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर मैटिरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी (सी-मैट), पुणे के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग, पुणे के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग, पुणे के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) रेल (माल डिब्बों की अति भराई के लिए दंडात्मक शुल्क) संशोधन नियम, 2018 जो 26 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सांकाणि 278(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) रेल (माल डिब्बों की अति भराई के लिए दंडात्मक शुल्क) दूसरा संशोधन नियम, 2018 जो 14 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सांकाणि 1205(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (21) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे —
- (एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (22) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (क) (एक) पवन हंस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (दो) पवन हंस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ख) (एक) एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) एयरपोर्ट्स इकोनोमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एयरपोर्ट्स इकोनोमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (27) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नवी मुंबई का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) पावरलूम डेवलमेंट एण्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पावरलूम डेवलमेंट एण्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) इंडियन एकेडमी ऑफ हाइवे इंजीनियर्स, नोएडा के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन एकेडमी ऑफ हाइवे इंजीनियर्स, नोएडा के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) का०आ० 6111(अ) जो 11 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 222 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग 61) (कल्याण से निर्मल खंड) के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (दो) का०आ० 6112(अ) जो 11 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 365 (नया) (मंगलवारपेट से मल्लमपल्ली खंड) के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (तीन) का०आ० 6248(अ) जो 21 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 (पाधी-दहोद खण्ड) के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (चार) का०आ० 6249(अ) जो 21 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 (शोलापुर-बीजापुर खण्ड) के प्रयोक्ताओं से डिजाइन, निर्माण, वित्त संचालन तथा हस्तांतरण आधारित (डीबीएफओटी) पथकर आधारित उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

5. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री रत्न लाल कटारिया ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का 46वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का विवरण

डॉ० किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी ने उन कंपनियों, जिनमें पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड की तरह 50 प्रतिशत सरकारी और 50 प्रतिशत निजी हिस्सेदारी है, में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में 10वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों

के कल्याण संबंधी समिति के 20वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार का अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन

डॉ० किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सितम्बर-अक्तूबर, 2018 के दौरान रांची, हैदराबाद, पुणे और मुंबई के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ० किरिट सोमैया ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित 'औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) तथा कौशल विकास पहल योजना' के बारे में समिति के 33वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 46वां प्रतिवेदन।
- (2) श्रम और रोजगार मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में समिति के 34वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 47वां प्रतिवेदन।
- (3) वस्त्र मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में समिति के 35वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 48वां प्रतिवेदन।
- (4) गृह मंत्रालय से संबंधित 'एनडीएमसी में स्थायी प्रकृति के कार्यों हेतु अनुबंध/नैमित्तिक/स्वच्छता कर्मियों की तैनाती' के बारे में समिति के 13वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 49वां प्रतिवेदन।
- (5) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में समिति के 36वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 50वां प्रतिवेदन।

- (6) विदेश मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित 'महिला कर्मियों, जिसमें उपचारिकाएं और सेविकाएं शामिल हैं, की विदेशों में नियुक्ति, मुद्दे तथा विनियामक ढांचा' के बारे में समिति के 40वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 51वां प्रतिवेदन।
- (7) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित 'नियोक्ताओं द्वारा भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा की कटौती और जमा तथा स्रोत पर कर कटौती (आयकर, आदि) के विहित प्रावधानों का अनुपालन' संबंधी 52वां प्रतिवेदन।

9. रेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय ने रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) 'पर्यटन संवर्धन और तीर्थाटन सर्किट' के बारे में समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 24वां प्रतिवेदन।
- (2) 'नई रेल खान-पान नीति, 2017' के बारे में समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 25वां प्रतिवेदन।

10. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अधीर रंजन चौधरी ने गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) ओखी चक्रवात - मछुआरों पर इसका प्रभाव तथा इससे हुई क्षति के बारे में 211वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 216वां प्रतिवेदन।
- (2) गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में 209वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 217वां प्रतिवेदन।
- (3) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में 210वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 218वां प्रतिवेदन।

- (4) भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में सुरक्षा स्थिति के बारे में 213वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 219वां प्रतिवेदन।

11. मंत्री द्वारा वक्तव्य

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री ने अंतरिक्ष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-2019) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 320वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

*अपराहन 12.10 बजे

12. प्रस्ताव

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 5 फरवरी, 2019 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 61वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 12.40 बजे

13. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री अभिजित मुखर्जी द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सिविल अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री के० अशोक कुमार द्वारा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु मार्गनिर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) डॉ० के० गोपाल द्वारा तमिलनाडु के मछुआरा समुदाय के लिए कल्याणकारी उपाय किए जाने के बारे में।

*अपराहन 12.11 बजे से अपराह्न 12.40 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (4) श्री बलभद्र माझी द्वारा ओडिशा के नबरंगपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और दिल्ली में बीएसएनएल/एमटीएनएल मोबाइल/नेटवर्क सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री राहुल शवाले द्वारा महाराष्ट्र के मछुआरों द्वारा लिए गए ऋण को माफ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री एन० के० प्रेमचन्द्रन द्वारा कोल्लम बाईपास को चार लेन का बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 12.40 बजे

14. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—स्वीकृत हुआ

लिया गया समय : 11 घंटे 16 मिनट

श्री हुक्मदेव नारायण यादव द्वारा 5 फरवरी, 2019 को पेश किए गए और श्री जगदम्बिका पाल द्वारा समर्थन किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा, अर्थात्:—

“कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:—

‘कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 31 जनवरी, 2019 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं’।”

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे
- *2. प्रो० रिचर्ड हे
- *3. डॉ० (श्रीमती) रत्ना डे (नाग)
- *4. डॉ० निशिकान्त दुबे
- *5. डॉ० कृष्ण प्रताप सिंह
- *6. एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर
- *7. श्री विष्णु दयाल राम

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- *8. श्री कामाख्या प्रसाद तासा
- *9. श्री ए० टी० (नाना) पाटील
- *10. श्री विद्युत वरण महतो
- *11. डॉ० यशवंत सिंह
- *12. डॉ० के० गोपाल
- *13. डॉ० थोकचोम मेन्या
- *14. श्रीमती आर० वनरोजा
- *15. श्री थांगसो बाइटे
- *16. श्री रमेश बिधूड़ी
- *17. एडवोकेट जोएस जॉर्ज
- *18. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश
- *19. डॉ० रमेश पोखरियाल निशंक
- *20. डॉ० किरीट सोमैया
- *21. श्री राजेशभाई नारणभाई चूड़ासमा
- *22. श्री पी० आर० सुन्दरम
- 23. श्री आनंदराव अडसुल
- *24. श्री धनंजय भीमराव महाडीक
- *25. श्री आलोक संजर
- 26. श्री दिनेश त्रिवेदी
- *27. श्री नागराजन पी०
- *28. श्री गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर
- *29. मौलाना बदरुद्दीन अज़मल
- 30. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
- *31. श्री रंगास्वामी ध्रुवनारायण

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

32. श्री जैदेव गल्ला
- *33. श्री लखन लाल साहू
- *34. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
- *35. श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान
- *36. श्री हरिश्चन्द्र देवराम चव्हाण
- *37. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा
- *38. श्री एस० पी० मुद्दाहनुमे गौड़ा
- *39. श्री रवीन्द्र कुमार जेना
40. श्री मोहम्मद सलीम
- #41. श्री डी० वी० सदानन्द गौड़ा
42. डॉ०(प्रो०) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
43. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
44. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा
45. श्री वीरेन्द्र कश्यप
- *46. श्री विनोद कुमार बोइनापल्ली
47. श्री एन० के० प्रेमन्दन
48. श्री एच० डी० देवगौड़ा
- *49. श्रीमती अंजू बाला
- *50. प्रो० चिंतामणि मालवीय
- *51. श्री शिवकुमार सी० उदासि
- *52. श्री हरिनारायण राजभर
- *53. डॉ० प्रभास कुमार सिंह
- *54. डॉ० सुनील बलीराम गायकवाड़

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

#स्पष्टीकरण दिया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री।

- *55. श्रीमती रीती पाठक
- 56. श्री कल्याण बनर्जी
- *57. श्री डी० के० सुरेश
- *58. डॉ० ए० सम्पत
- *59. कुमारी शोभा कारान्दलाजे
- 60. श्री राम कुमार शर्मा
- 61. श्री पी० के० कुनहलिकुट्टी
- 62. श्री कुंवर हरिवंश सिंह
- 63. श्री के० परसुरमन
- 64. श्री असादुद्दीन ओवैसी
- *65. कुमारी सुष्मिता देव
- *66. श्री राहुल कस्वां
- @ 67. श्रीमती सुषमा स्वराज
- 68. श्री सौमित्र खान
- 69. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
- *70. श्री देवजी एम० पटेल
- *71. श्री नलीन कुमार कटील
- *72. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
- *73. श्री रोडमल नागर
- *74. श्री विनायक भाऊराव राऊत
- *75. श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल
- *76. श्री अजय मिश्रा टेनी
- *77. श्री भैरों प्रसाद मिश्र

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

@ स्पष्टीकरण दिया। विदेश मंत्री।

78. श्री रामदास अठावले

*79. श्री जुगल किशोर शर्मा

*80. श्री रामेश्वर तेली

श्री नरेन्द्र मोदी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

सभी संशोधनों, जिन्हें पेश किया गया था, पर मतदान हुआ और वे अस्वीकृत हुए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 7.44 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 8 फरवरी, 2019 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 8 फरवरी, 2019/19 माघ, 1940 (शक)

संख्या 328

पूर्वाह्न 11.01 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 81 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.05 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 82—100 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 921—986, 988—1140 और 1142—1150 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। लोक सभा के वर्तमान सदस्य श्री लड्डू किशोर स्वाई के निधन के कारण अतारांकित प्रश्न संख्या 987 और 1141 का लोप किया गया।

अपराह्न 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जोधपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जोधपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) नेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन, पासीघाट के वर्ष 2012-2013 से 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन, पासीघाट के वर्ष 2012-2013 से 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर सिद्ध शिक्षा) संशोधन विनियम, 2018, जो 10 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० 18-12/2018-सिद्ध (पाठ्यचर्या-पीजी) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) संशोधन विनियम, 2018, जो 10 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० 4-90/2018-स्नातकोत्तर विनियम (आयुर्वेद) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर यूनानी चिकित्सा शिक्षा) संशोधन विनियम, 2018, जो 10 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० 11-77/2018-यूनानी (स्नातकोत्तर विनियम) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय आयुर्विज्ञान में शिक्षा संबंधी न्यूनतम मानक) संशोधन विनियम, 2018, जो 10 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० 24-14/2018-(स्नातकपूर्व विनियम) में प्रकाशित हुए थे।
- (12) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार संबंधी कपटपूर्ण तथा अनुचित व्यापार प्रथाओं का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/56 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंगी व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/59 में प्रकाशित हुए थे।
- (17) सरकारी बचत प्रोत्साहन अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय बचत सावधि जमा (संशोधन) नियम, 2019 जो 7 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 14(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण के बारे में समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) भारत में आवासन की प्रवृत्ति और प्रगति 2017 के बारे में राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 40 की उपधारा (5) के अंतर्गत वर्ष 2017-2018 के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (भाग एक और दो), मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) इश्योरेंस रेगुलेटरी एण्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।
- (25) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सांकांनिं 809(अ) जो 24 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 9 जनवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या सांकांनिं 15(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) अधिसूचना संख्या एफ० सं० आईआरडीएआई/आरआई/1/152/2019 जो 16 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा 'वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु अनिवार्य अध्यर्पण' के संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी।
- (दो) इश्योरेंस रेगुलेटरी एण्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (रि-इश्योरेंस) विनियम, 2018, जो 5 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० आईआरडीएआई/ आरईजी/4/151/2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (27) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) सांकांनिं 1244(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन करदाताओं, जिन्हें प्रोविजनल आईडी प्राप्त हुए

थे लेकिन प्रवास प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे, के प्रवास को पूरा करने के लिए विशिष्ट प्रक्रिया प्रदान करने हेतु 06.08.2018 की अधिसूचना सं० 31/2018-सी०टी० में विनिर्दिष्ट समय-सीमा का विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दो) सांका० 1245(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रवास करने वाले नए करदाताओं के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी में विवरण दाखिल करने हेतु समय-सीमा का विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सांका० 1246(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रवास करने वाले नए करदाताओं के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी में विवरण दाखिल करने हेतु समय-सीमा का विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सांका० 1247(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रवास करने वाले नए करदाताओं के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी में विवरण दाखिल करने हेतु समय-सीमा का विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सांका० 1248(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रवास करने वाले नए करदाताओं के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 में बाहरी आपूर्ति के ब्यौरे दाखिल करने हेतु समय-सीमा का विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सांका० 1249(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रवास करने वाले नए करदाताओं के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 में बाहरी आपूर्ति के ब्यौरे दाखिल करने हेतु समय-सीमा का विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सांका० 1250(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सरकारी विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अन्य सरकारी विभागों को की जाने वाली आपूर्ति को टीडीएस से तथा विलोमतः छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) केन्द्रीय माल और सेवा कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2018, जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सांका० 1251(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (नौ) सांका० 1252(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई, 2017 से सितम्बर, 2018 तक की अवधि के लिए विशिष्ट मामलों में फॉर्म जीएसटीआर-1 के विलंब से दायर किए जाने की स्थिति में उद्ग्रहणीय विलंब शुल्क की राशि को पूर्ण रूप से माफ करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सांका० 1253(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय फॉर्म जीएसटीआर-3बी के विलंब से दायर किए जाने हेतु संदेय विलंब शुल्क को विनिर्दिष्ट करना तथा जुलाई, 2017 से सितम्बर, 2018 तक की अवधि के लिए विशिष्ट मामलों में फॉर्म जीएसटीआर-3बी के विलंब से दायर किए जाने की स्थिति में उद्ग्रहणीय विलंब शुल्क की राशि को पूर्ण रूप से माफ करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) सांका० 1254(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई, 2017 से सितम्बर, 2018 तक की अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-4 के विलंब से दायर किए जाने की स्थिति में उद्ग्रहणीय विलंब शुल्क की राशि को पूर्ण रूप से माफ करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) सांका० 1255(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई, 2017 से दिसम्बर, 2018 की अवधि हेतु फॉर्म आईटीसी-04 जमा करने की देय तिथि को 31.03.2019 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) सांका० 1283(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 19.06.2017 की अधिसूचना सं० 2/2017-केन्द्रीय कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) कांआ० 6109(अ) जो 11 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु वार्षिक विवरण (फॉर्म जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9ए तथा जीएसटीआर-9सी में) दाखिल करने की देय तिथि को 31 मार्च, 2019 तक बढ़ाए जाने संबंधी डिफिकल्टी ऑर्डर का निराकरण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (पन्द्रह) कांआ० 6428(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान जारी किए गए इन्वाइसेज अथवा ऐसे इन्वाइसेज से संबंधित डेबिट नोट्स पर आईटीसी की प्राप्ति संबंधी देय तिथि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सोलह) कांआ० 6429(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय 11.12.2018 के आदेश सं० 1/2018 की डिफिकल्टी ऑर्डर के निराकरण का संशोधन करना है, ताकि वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु फॉर्म जीएसटीआर-9, फॉर्म जीएसटीआर-9ए में वार्षिक विवरणी तथा फॉर्म जीएसटीआर-9सी में समाधान विवरण दाखिल करने की देय तिथि को 30.06.2019 तक बढ़ाना करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सत्रह) कांआ० 6430(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय अक्टूबर से दिसम्बर, 2018 के महीनों के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-8 में विवरण की देय तिथि को 31.01.2019 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अठारह) सांका० 33(अ) जो 15 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एडवांस अर्थोराइजेशन के अर्थ में संशोधन हेतु अधिसूचना सं० 48/2017 में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उन्नीस) सांका० 1261(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटी परिषद द्वारा अपनी 31वीं बैठक में दी गई सिफारिशों के अनुरूप वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में परिवर्तन करने हेतु 28.06.2017 की अधिसूचना सं० 1/2017-केन्द्रीय कर (दर) में और अधिक संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बीस) सांका० 1262(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटी परिषद द्वारा अपनी 31वीं बैठक में दी गई सिफारिशों के अनुरूप वस्तुओं को जीएसटी से छूट देने के लिए 28.06.2017 की अधिसूचना सं० 2/2017-केन्द्रीय कर (दर) में और अधिक संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (इक्कीस) सांका० 1263(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय “नामनिर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा आपूर्ति के अनुरूप

निर्यात'' योजना के तहत पंजीकृत व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट एजेंसी द्वारा सोने की अंतरराज्यीय आपूर्ति, बशर्ते कि उक्त सोने से निर्मित आभूषणों का निर्यात 90 (नब्बे) दिनों की अवधि और अन्य विनिर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत किया गया हो, को छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (बाईस) सांका० 1271(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माल और सेवा कर परिषद द्वारा 22.12.2018 को हुई अपनी 31वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुरूप कतिपय सेवाओं पर सीजीएसटी दरों में परिवर्तन के लिए 28.06.2017 की अधिसूचना सं० 11/2017-केन्द्रीय कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेईस) सांका० 1272(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माल और सेवा कर परिषद द्वारा 22.12.2018 को हुई अपनी 31वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुरूप कतिपय सेवाओं को छूट प्रदान करने के लिए 28.06.2017 की अधिसूचना सं० 12/2017-केन्द्रीय कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौबीस) सांका० 1273(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माल और सेवा कर परिषद द्वारा 22.12.2018 को हुई अपनी 31वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुरूप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के अंतर्गत करारोपित की जाने वाली कतिपय सेवाओं का निर्दिष्ट करने के लिए 28.06.2017 की अधिसूचना सं० 13/2017-केन्द्रीय कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पच्चीस) सांका० 1274(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 11(3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसकी परिधि को स्पष्ट करते हुए 28.06.2017 की अधिसूचना सं० 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), क्रम सं० 9(छह) में स्पष्टीकरण को प्रविष्ट करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (28) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)---
- (एक) सांका० 1256(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आईजीएसटी नियम, 2017 में संशोधन करना है

ताकि आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धाराओं 10(2), 12(3), 12(7), 12(11) तथा 13(7) के अंतर्गत अंतरराज्यीय आपूर्ति के मामले में आपूर्ति के स्थान के निर्धारण हेतु नियम अधिसूचित किये जा सकें तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दो) सांका० 1264(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटी परिषद द्वारा अपनी 31वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुरूप वस्तुओं पर जीएसटी दरों में बदलाव के लिए 28.06.2017 की अधिसूचना सं० 1/2017-एकीकृत कर (दर) में और अधिक संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सांका० 1265(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटी परिषद द्वारा अपनी 31वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुरूप वस्तुओं को जीएसटी से छूट प्रदान करने के लिए 28.06.2017 की अधिसूचना सं० 2/2017-केन्द्रीय कर (दर) में और अधिक संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सांका० 1266(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 'नामनिर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा आपूर्ति के अनुरूप निर्यात' योजना के तहत पंजीकृत व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा की जाने वाली सोने की अंतरराज्यीय आपूर्ति, उक्त सोने से निर्मित आभूषणों के निर्यात 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के भीतर किए गए निर्यात तथा अन्य विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन हो, को छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सांका० 1275(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माल और सेवा कर परिषद द्वारा 22.12.2018 को हुई अपनी 31वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुरूप कतिपय सेवाओं की हुई आईजीएसटी दरों में परिवर्तन के लिए 28.06.2017 की अधिसूचना सं० 8/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सांका० 1276(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माल और सेवा कर परिषद द्वारा 22.12.2018 को हुई अपनी 31वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुरूप कतिपय सेवाओं को

छूट प्रदान करने के लिए 28.06.2017 की अधिसूचना सं० 9/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (सात) सांका० 1277(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माल और सेवा कर परिषद द्वारा 22.12.2018 को हुई अपनी 31वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुरूप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के अंतर्गत कारारोपित की जाने वाली कतिपय सेवाओं को विनिर्दिष्ट करने के लिए 28.06.2017 की अधिसूचना सं० 10/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सांका० 1278(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 6(3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसकी परिधि को स्पष्ट करते हुए 28.06.2017 की अधिसूचना सं० 8/2017-एकीकृत कर (दर), क्रम सं० 9(छह) में स्पष्टीकरण को प्रविष्टि करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (29) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) सांका० 1267(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटी परिषद द्वारा अपनी 31वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुरूप वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में परिवर्तन के लिए 28.06.2017 की अधिसूचना सं० 01/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में और अधिक संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सांका० 1268(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटी परिषद द्वारा अपनी 31वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुरूप वस्तुओं पर जीएसटी से छूट देने के लिए 28.06.2017 की अधिसूचना सं० 02/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में और अधिक संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सांका० 1269(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रजिस्टर्ड व्यक्तियों को 'नामनिर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा आपूर्ति के अनुरूप निर्यात के लिए' स्कीम के अंतर्गत नामनिर्दिष्ट एजेंसी द्वारा आपूर्ति किए जाने पर, संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में स्वर्ण की अंतरराज्यीय

आपूर्ति को ऐसे स्वर्ण से निर्मित आभूषण के निर्यात 90 दिनों के भीतर और अन्य विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (चार) सांका० 1279(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माल और सेवा कर परिषद द्वारा 22.12.2018 को हुई अपनी 31वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुरूप कतिपय सेवाओं की यूटीजीएसटी दरों में छूट प्रदान करने के लिए 28.06.2017 की अधिसूचना सं० 11/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सांका० 1280(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माल और सेवा कर परिषद द्वारा 22.12.2018 को हुई अपनी 31वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुरूप कतिपय सेवाओं को छूट प्रदान करने के लिए 28.06.2017 की अधिसूचना सं० 12/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सांका० 1281(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माल और सेवा कर परिषद द्वारा 22.12.2018 को हुई अपनी 31वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुरूप रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म (आरसीएम) के अधीन कतिपय सेवाओं पर कर लगाया जाना विनिर्दिष्ट किए जाने के लिए 28.06.2017 की अधिसूचना सं० 13/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सांका० 1282(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूटीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 8(3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना सं० 11/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), क्रमांक 9 (छह) में स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करना है, जिसमें उसकी व्याप्ति को स्पष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (30) धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत धन-शोधन निवारण (जब्त की गई सम्पत्ति की बहाली) संशोधन नियम, 2019 जो 11 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सांका० 23(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

- (एक) सांकांनि० 1270(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्राइवेट सड़क वाहनों के अस्थायी आयात को आईजीएसटी और प्रतिकर उपकर से छूट प्रदान करने के लिए 02.08.1976 की अधिसूचना संख्या 296/76 में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सांकांनि० 1257(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 01.06.2011 की अधिसूचना संख्या 46/2011-सी०शु० में संशोधन करना है ताकि विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में टैरिफ रियायतों को 01.01.2019 से गहन बनाया जा सके, जब उनका आयात भारत-आसियान मुक्त व्यापार करार के अनुसार आसियान देशों से किया जाता है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सांकांनि० 1258(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31.12.2009 की अधिसूचना संख्या 152/2009-सी०शु० में संशोधन करना है ताकि भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) के अनुसार कोरिया आर०पी० से आयातित विनिर्दिष्ट माल के संबंध में टैरिफ रियायतों को 01.01.2019 से गहन बनाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सांकांनि० 1259(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 01.07.2011 की अधिसूचना संख्या 53/2011-सी०शु० में संशोधन करना है ताकि भारत-मलेशिया व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (आईएमसीईसीए) के अनुसार मलेशिया से आयातित विनिर्दिष्ट माल के संबंध में टैरिफ रियायतों को 01.01.2019 से गहन बनाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सांकांनि० 1260(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 29 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या 69/2011-सी०शु० में और संशोधन करना है ताकि टैरिफ मद 8708 40 00 (विनिर्दिष्ट मोटर वाहनों के गीयर बॉक्सों और उनके कलपुर्जों) के संबंध में

टैरिफ रियायतों को 01.01.2019 से गहन बनाया जा सके जब उनका आयात भारत-जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (आईजेसीईपीए) के अनुसार किया जाता है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (छह) सांकांनि 60(अ) जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 57/2017-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सांकांनि 61(अ) जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी॰शु॰ (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सांकांनि 18(अ) जो 10 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सांकांनि 4(अ) जो 3 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अक्टूबर, 1977 की अधिसूचना संख्या 208/1977-सी॰शु॰(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) कांआ 6189(अ) जो 14 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर खाद्य तेलों, सोने, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य में संशोधन किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) अधिसूचना सं॰ 99/2018-सी॰शु॰(एनटी) दिनांक 20 दिसम्बर, 2018, जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) कांआ 6407(अ) जो 31 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेलों, सोने, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य में संशोधन किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (तेरह) अधिसूचना सं० 02/2019-सी०शु० (एनटी) दिनांक 3 जनवरी, 2019 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) अधिसूचना सं० 03/2019-सी०शु० (एनटी) दिनांक 11 जनवरी, 2019 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पंद्रह) का०आ० 302(अ) जो 15 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर खाद्य तेलों, सोने, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य में संशोधन किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सोलह) अधिसूचना सं० 05/2019-सी०शु०(एनटी) दिनांक 17 जनवरी, 2019 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (32) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) सा०का०नि० 45(अ) जो 24 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकरण द्वारा सनसेट समीक्षा अंतिम निष्कर्ष जांच के अनुसरण में 11 मार्च, 2014 की अधिसूचना सं० 11/2014- सी०शु० (एडीडी) को रद्द करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा०का०नि० 46(अ) जो 24 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकरण द्वारा सनसेट समीक्षा अंतिम निष्कर्ष जांच के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'मेटाफिनाईलीन डायमाईन' पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा०का०नि० 52(अ) जो 28 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकरण द्वारा अंतिम निष्कर्ष जांच के

अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'क्लोरोइलास्टोमर्स' एफकेएम के आयात पर 18 माह की अवधि के लिए निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (चार) सांकांनि० 8(अ) जो 4 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकरण द्वारा सनसेट समीक्षा अंतिम निष्कर्ष जांच के अनुसरण में यूरोपीय संघ तथा यूनाईटेड स्टेट्स ऑफ अमरीका से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'मिथाइलीन क्लोराइड' के आयात पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सांकांनि० 31(अ) जो 15 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मैसर्स जनता जूट मिल्स लिमिटेड (उत्पादक), और मैसर्स अमन जूट फाइबर्स लिमिटेड (उत्पादक) और मैसर्स आईबी जूट कारपोरेशन (निर्यातक/व्यापारी) द्वारा बांग्लादेश या नेपाल से उद्भूत अथवा वहां से भारत को निर्यातित "जूट उत्पादों अर्थात जूट यार्न/ट्वाइन (मल्टीपल फोल्डेड/केबल और एकल), हेशियन फैब्रिक और जूट सेकिंग बैग" के सभी आयातों के अनंतिम मूल्यांकनों को रद्द करने वाली दिनांक 30 मई, 2018 की दोनों अधिसूचना सं० 30/2018-सी०शु० (एडीडी) और 31/2018-सी०शु० (एडीडी) का निरसन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सांकांनि० 32(अ) जो 5 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मैसर्स जनता जूट मिल्स लिमिटेड (उत्पादक) द्वारा बांग्लादेश से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "जूट सेकिंग बैग" के आयातों तथा मैसर्स अमन जूट फाइबर्स लिमिटेड (उत्पादक) और मैसर्स आईबी जूट कारपोरेशन (निर्यातक/व्यापारी) द्वारा बांग्लादेश या नेपाल से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "जूट यार्न/ट्वाइन (मल्टीपल फोल्डेड/केबल और एकल), हेशियन फैब्रिक और जूट सेकिंग बैग" के आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क विहित करने वाली 5 जनवरी, 2017 की अधिसूचना सं० 1/2017-सी०शु० (एडीडी) का और संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (33) (एक) नई दिल्ली ट्यूबरक्यूलोसिस सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नई दिल्ली ट्यूबरक्यूलोसिस सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों के सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेज, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेज, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) (एक) इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, गाजियाबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, गाजियाबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 जो 20 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० 1-94/एफएसएसएआई/एसपी(दावे और विज्ञापन)/2017 में प्रकाशित हुए थे, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) औषधि और प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 2018 जो 23 मार्च 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 277(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) मेडिकल डिवाइसेस (संशोधन) नियम, 2018 जो 1 अगस्त 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 729(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) औषधि और प्रसाधन सामग्री (सातवां संशोधन) नियम, 2018 जो 21 अगस्त 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 795(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) नियम, 2018 जो 10 जनवरी 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 19(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (41) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) (एक) पाश्चर इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, कुन्नूर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पाश्चर इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, कुन्नूर के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) निम्नलिखित केंद्रों के संबंध में वर्ष 2017-2018 के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे—
- (एक) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (ग्रामीण तथा औद्योगिक विकास अनुसंधान केंद्र), चण्डीगढ़।

- (दो) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (आर्थिक विकास संस्थान), दिल्ली।
- (तीन) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनोमिक्स), पुणे।
- (चार) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (दि गांधीग्राम इंस्टिट्यूट ऑफ रुरल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ट्रस्ट), गांधीग्राम।
- (पांच) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (गुवाहाटी विश्वविद्यालय), गुवाहाटी।
- (छह) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (केरल विश्वविद्यालय), तिरुवनंतपुरम।
- (सात) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय), लखनऊ।
- (आठ) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय), शिमला।
- (नौ) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (सांख्यिकी विभाग, महाराजा स्याजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा) वडोदरा।
- (दस) जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (पंजाब विश्वविद्यालय), चण्डीगढ़।
- (46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) (एक) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच हियरिंग, मैसूर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) (एक) चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. मंत्री द्वारा वक्तव्य

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की ओर से संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में समिति के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य दिया।

*अपराहन 12.12 बजे

5. सदस्यों द्वारा निवेदन

प्रो० सौगत राय और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने 'राफेल सौदा' के बारे में निवेदन किए।

%श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने उत्तर दिया।

#श्रीमती निर्मला सीतारामण ने भी उत्तर दिया।

अपराहन 12.42 बजे

6. (एक) अंतरिम बजट — 2019-20; (दो) लेखानुदानों की मांगें — 2019-20; और (तीन) अनुदानों की अनुपूरक मांगें — 2018-19

आवंटित समय : 8 घंटे

लिया गया समय : 1 घंटा 46 मिनट

शेष : 6 घंटे 14 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदों पर संयुक्त चर्चा एक साथ की गई—

(एक) वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट।

(दो) मांग संख्या 1 से 36, 39 से 62, 64 से 70, 72 से 74, 76 से 78 और 80 से 99 के संबंध में वर्ष 2019-20 के लिए लेखानुदानों की मांगें।

*अपराहन 12.03 बजे से अपराहन 12.42 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

%ग्रामीण विकास मंत्री; पंचायती राज मंत्री; खान मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री।

#रक्षा मंत्री।

(तीन) वर्ष 2018-19 के लिए बजट के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें — तीसरा बैच सं० 1 से 5, 7 से 16, 18 से 20, 24 से 27, 29, 31, 34 से 36, 42 से 46, 48 से 51, 53 से 62, 64 से 67, 72 से 74, 77, 80 से 82, 84 से 94 और 96 से 99

अध्यक्षपीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

“सभा में उपस्थित माननीय सदस्यगण, लेखानुदानों की मांगों पर जिनके कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्तावों को पेश करना चाहते हैं, तो वे 15 मिनट के भीतर जिन कटौती प्रस्तावों को वे पेश करना चाहते हैं उनसे संबंधित मंत्रालय का नाम और कटौती के प्रस्तावों की क्रम संख्या दोनों का उल्लेख करते हुए एक स्लिप पटल पर भेज सकते हैं। केवल वे कटौती प्रस्ताव जिनके संबंध में स्लिप पटल पर प्राप्त होगी, उन्हें ही पेश किया गया समझा जाएगा।

इसके तुरंत पश्चात्, जिनके कटौती प्रस्ताव, जिन्हें पेश किया गया समझा जाएगा उनकी क्रम संख्या को दर्शाने वाली सूची नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी। यदि सूची में कोई विसंगति पाई जाती है तो सदस्य तुरंत उसे अधिकारी के ध्यान में लाएं”।

कोई कटौती प्रस्ताव पेश नहीं किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

*1. श्री तथागत सत्पथी

(लोक सभा अपराहन 12.59 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.04 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 2.04 बजे

2. श्री अनुराग सिंह ठाकुर

3. श्री वेंकटेश बाबू टी०जी०

4. श्री दुष्यंत चौटाला

*सभा के पुनः समवेत होने के पश्चात् उन्होंने अपना भाषण पुनः आरंभ किया।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराहन 3.34 बजे

7. प्रस्ताव

श्री रत्न लाल कटारिया ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:—

“कि यह सभा 7 फरवरी, 2019 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 46वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 3.35 बजे

8. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक — पुरःस्थापित

1. डॉ० उदित राज, संसद सदस्य का महिला और बालिका (अत्याचार निवारण) विधेयक, 2018
2. श्री विनोद कुमार बोइनापल्ली, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 16 और नौवीं अनुसूची का संशोधन)
3. श्री निशिकान्त दुबे, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 51क का संशोधन)
4. श्री निशिकान्त दुबे, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (नये अनुच्छेद 121क और 211क का अंतःस्थापन)
5. डॉ० ए० संपत, संसद सदस्य का वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 88 का संशोधन, आदि)
6. श्री दुष्यंत चौटाला, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (नए अनुच्छेद 16क का अंतःस्थापन)
7. श्री तेज प्रताप सिंह यादव, संसद सदस्य का मिथ्या समाचार (प्रतिषेध) विधेयक, 2019
8. श्री भैरों प्रसाद मिश्र, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2018 (अनुच्छेद 15 और 16 का संशोधन)
9. श्री भैरों प्रसाद मिश्र, संसद सदस्य का धरोहर शहर और स्थल (संरक्षण और विकास) विधेयक, 2018

10. श्री विनोद कुमार बोइनापल्ली, संसद सदस्य का घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 5 का संशोधन, आदि)
11. श्री विनोद कुमार बोइनापल्ली, संसद सदस्य का दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 497 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन, आदि)
12. श्री गौरव गोगोई, संसद सदस्य का राष्ट्रीय आव्रजन सुधार आयोग विधेयक, 2018
13. श्री गौरव गोगोई, संसद सदस्य का धार्मिक सौहार्द का बनाए रखे जाना विधेयक, 2018
14. श्री निशिकान्त दुबे, संसद सदस्य का पर्यावरण संरक्षण (भूमि भराव क्षेत्रों का प्रबंधन और गैर-जैव अवक्रमणीय कूड़े का नियंत्रण) विधेयक, 2019
15. डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य का कृषकों और कृषि श्रमिकों को निर्वाह भत्ते का संदाय विधेयक, 2018
16. डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य का प्राकृतिक विपत्ति से पीड़ित व्यक्ति (पुनर्वास और वित्तीय सहायता) विधेयक, 2018
17. डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य का काम का अधिकार विधेयक, 2018
18. डॉ॰ किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य का सदोष दोषसिद्धों के अधिकारों का संरक्षण विधेयक, 2018
19. श्री निशिकान्त दुबे, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (नये अनुच्छेद 85क का अंतःस्थापन)
20. डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य का वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2018 (धारा 2 और 3 का संशोधन)
21. डॉ॰ प्रभास कुमार सिंह, संसद सदस्य का अनुसूचित जनजाति आरक्षण प्रसुविधा साम्यापूर्ण वितरण आयोग विधेयक, 2019
22. डॉ॰ प्रभास कुमार सिंह, संसद सदस्य का उड़ीसा उच्च न्यायालय (बरगढ़ में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2019
23. श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी, संसद सदस्य का रिक्षा चालक और सड़क किनारे बैठने वाले मैकेनिक (आजीविका अर्जन की स्वतंत्रता) विधेयक, 2019

24. श्री गोपाल चिनय्या शेटी, संसद सदस्य का फुटपाथ पर रहने वाले व्यक्तियों और यौन कर्मियों के बालक (दुरुपयोग का निवारण और कल्याणकारी उपाय) विधेयक, 2019
25. श्री आर० धुवनारायण, संसद सदस्य का राष्ट्रीय महिला कृषक आयोग विधेयक, 2019
26. डॉ० किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य का हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 2 का संशोधन आदि)
27. श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, संसद सदस्य का राष्ट्रीय लघु राज्य निर्माण बोर्ड विधेयक, 2019
28. श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, संसद सदस्य का बाल विवाह का प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 11 का संशोधन)
29. श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, संसद सदस्य का सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 19 का संशोधन)

अपराहन 4.01 बजे

9. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक — विचाराधीन

भारतीय पर्यटन संवर्धन निगम विधेयक, 2015

श्री निशिकान्त दुबे द्वारा 28 दिसम्बर, 2018 को पेश किए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

श्री निशिकान्त दुबे ने अपना भाषण पुनः आरंभ किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
2. श्री भैरों प्रसाद मिश्र
3. श्री निहाल चन्द चौहान
4. श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.05 बजे

(लोक सभा सोमवार, 11 फरवरी, 2019 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

गुस्वार 7, फरवरी, 2019 के समाचार भाग-1 संख्या 327 का
शुद्धिपत्र

क्रमांक	पृष्ठ और पंक्ति संख्या	के स्थान पर	पढ़ा जाए
1.	पृष्ठ 11, पंक्ति 20	सिविल अभ्यर्थियों	सिविल सेवा के अभ्यर्थियों
2.	पृष्ठ 11, पंक्ति 22	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति
3.	पृष्ठ 12, पंक्ति 4	राहुल शवाले	राहुल रमेश शवाले

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 11 फरवरी, 2019/22 माघ, 1940 (शक)

संख्या 329

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 101 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.09 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 102—120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1151—1166 और 1168—1380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। लोक सभा के वर्तमान सदस्य श्री लड्डू किशोर स्वाई का निधन होने के कारण अतारांकित प्रश्न संख्या 1167 का लोप किया गया।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

“माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र के अनावरण के लिए कल 1000 बजे केन्द्रीय कक्ष, संसद भवन में आयोजित समारोह में किया जाएगा।

भारत के माननीय राष्ट्रपति चित्र का अनावरण करेंगे और उपस्थित विशिष्ट सभासदों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में दलों के नेताओं को औपचारिक रूप से निमंत्रण दिया जा चुका है और माननीय सदस्यों के लिए एक औपचारिक निमंत्रण समाचार भाग-दो के माध्यम से भी दिया जा रहा है।

सभी सदस्य समारोह में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित हैं। कृपया केन्द्रीय कक्ष में पूर्वाह्न 0945 बजे तक अपना स्थान ग्रहण कर लें।”

अपराह्न 12.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड 6 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।
 - (दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही ज्ञापन।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेन्ट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेन्ट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभागों का उद्ग्रहण) संशोधन विनियम, 2018 जो 8 जनवरी, 2019 के भारत के

राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएनजीआरबी/एफएण्डसी/संशोधन पीएनजीआरबी विनियमों में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन वहन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2018 जो 19 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (6) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एण्ड एनर्जी, 2018 के प्रथम परिनियम, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एण्ड एनर्जी अधिनियम, 2017 की धारा 33 के अंतर्गत 18 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएनजीआरबी/एम(सी)/1216(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 38 की उपधारा (5) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या पीएनजीआरबी/एम(सी)/6362(अ) जो 28 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा “रसायन उर्वरक उद्योग” को लोक उपयोगिता सेवाओं के रूप में घोषित करने के लिए ‘33 रसायन उर्वरक उद्योग’ को उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में शामिल किया गया है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) इंडियन म्यूजियम, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन म्यूजियम, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (12) (एक) वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर, उदयपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर, उदयपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) नेशनल कल्चर फंड के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल कल्चर फंड के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी, गंगटोक के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी, गंगटोक के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (20) (एक) कौयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) कौयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) कौयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन रजिस्ट्री, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन रजिस्ट्री, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्र को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) विस्फोटक (संशोधन) नियम, 2019 जो 9 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 17(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) गैस सिलेण्डर्स (संशोधन) नियम, 2019 जो 24 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 44(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (25) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एण्ड मैनुफैक्चरिंग, कांचीपुरम के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एण्ड मैनुफैक्चरिंग, कांचीपुरम के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एण्ड मैनुफैक्चरिंग, कांचीपुरम के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बैंगलोर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बैंगलोर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, भिलाई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, भिलाई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, भिलाई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धारवाड़ के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धारवाड़ के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धारवाड़ के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) (एक) ओडिशा माध्यमिक शिक्षा मिशन, भुवनेश्वर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) ओडिशा माध्यमिक शिक्षा मिशन, भुवनेश्वर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) ओडिशा माध्यमिक शिक्षा मिशन, भुवनेश्वर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) (एक) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) (एक) जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्किम, साउथ सिक्किम के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिक्किम, साउथ सिक्किम के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तराखंड, देहरादून के वर्ष 2013-2014, 2014-2015 तथा 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तराखंड, देहरादून के वर्ष 2013-2014, 2014-2015 तथा 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) (एक) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (51) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, बेरहामपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, बेरहामपुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (53) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेघालय, शिलांग के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेघालय, शिलांग के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (55) (एक) शास्त्री इंडो-कैनेडियन इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) शास्त्री इंडो-कैनेडियन इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (57) (एक) ऑरोविले फाउंडेशन, ऑरोविले के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऑरोविले फाउंडेशन, ऑरोविले के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (59) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (61) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (63) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (65) (एक) हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान), पंचकूला के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान), पंचकूला के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (67) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान गोवा, आल्टो पोरवोरिम के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान गोवा, आल्टो पोरवोरिम के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (69) (एक) दि बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (वेस्टर्न रीज़न), मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) दि बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (वेस्टर्न रीज़न), मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (71) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा, के वर्ष 2014-2015, 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा, के वर्ष 2014-2015, 2015-2016 और 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (72) उपर्युक्त (71) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (73) (एक) संत लोंगोवाल अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) संत लोंगोवाल अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (74) उपर्युक्त (73) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (75) (एक) केन्द्रीय तिब्बतन स्कूल प्रशासन, दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) केन्द्रीय तिब्बतन स्कूल प्रशासन, दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) केन्द्रीय तिब्बतन स्कूल प्रशासन, दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (76) उपर्युक्त (75) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (77) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पूणे के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पूणे के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पूणे के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (78) उपर्युक्त (77) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (79) (एक) कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कलबुरगी के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कलबुरगी के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कलबुरगी के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (80) उपर्युक्त (79) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (81) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (82) उपर्युक्त (81) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (83) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 (तीन) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (84) उपर्युक्त (83) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (85) (एक) केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 (तीन) केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (86) उपर्युक्त (85) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (87) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (88) उपर्युक्त (87) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (89) दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पटना के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (90) उपर्युक्त (89) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (91) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (92) उपर्युक्त (91) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (93) (एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018, के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (94) उपर्युक्त (93) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (95) (एक) केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (96) उपर्युक्त (95) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (97) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एनसीटीई-आरईजीएल 012/16/2018

जो दिनांक 29 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 29 जून, 2018 की अधिसूचना संख्या एफ०सं० 61-03/20/2010/एनसीटीई/ (एनएंडएस) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (98) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड मैनुफैक्चरिंग, कुर्नूल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड मैनुफैक्चरिंग, कुर्नूल के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (99) उपर्युक्त (98) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (100) (एक) सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड, देहरादून के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड, देहरादून के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (101) उपर्युक्त (100) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. प्राक्कलन समिति के विवरण

डॉ० मुरली मनोहर जोशी ने निम्नलिखित प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय वन-रोपण कार्यक्रम' विषय के बारे में 36वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तीसरा प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (2) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित 'ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों का मूल्यांकन' विषय के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 16वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

- (3) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित 'स्वच्छता कार्यक्रम की समीक्षा' विषय के बारे में आठवां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 17वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (4) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित 'पंचायती राज' विषय के बारे में 18वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 25वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

6. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के विवरण

श्री शांता कुमार ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदनों के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) 'भारतीय खाद्य निगम में खाद्यान्न के भंडारण प्रबंधन और संचलन के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 2013 के प्रतिवेदन संख्या 7 पर आंशिक रूप से आधारित भारतीय खाद्य निगम' के बारे में 29वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (2) 'नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 2009-10 के प्रतिवेदन संख्या 9 के लेखापरीक्षा पैरा सं० 13.5.1 पर आधारित ओएनजीसी द्वारा कच्चे तेल के मूल्य पर संचनन की खरीद' के बारे में 28वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (3) 'भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड' के बारे में 26वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (4) '2010-11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 28 पर आधारित ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के संयुक्त उद्यम प्रचालन (निष्पादन लेखापरीक्षा)' के बारे में 27वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सातवां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (5) 'भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड' के बारे में छठे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का दसवां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

- (6) 'कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)' के बारे में चौथे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का तेरहवां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (7) 'हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल)' के बारे में नौवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 16वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (8) 'नेशनल एल्युमीनियम कारपोरेशन लिमिटेड (नाल्को)' के बारे में 12वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 17वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (9) 'इंडियन रेलवेज़ कंटेनरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन (आईआरसीटीसी)' के बारे में 15वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 21वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (10) 'हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेन्ट कारपोरेशन (हुडको)' के बारे में 18वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 23वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

7. याचिका समिति के प्रतिवेदन

श्री भगत सिंह कोश्यारी ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किये:—

- (1) एमटीएनएल से श्री अरविन्द सावंत, संसद सदस्य, लोक सभा के समय-पूर्व त्यागपत्र के मामले तथा अन्य संबंधित मुद्दों की समीक्षा का अनुरोध किए जाने के संबंध में उनके अभ्यावेदन पर 64वां प्रतिवेदन।
- (2) दिल्ली में मोटर वाहनों की बड़ी संख्या में चोरी के बारे में श्री आरुक्मिणी सिन्हा, संसद सदस्य, राज्य सभा द्वारा अग्रेषित श्री सुरेश श्रीवास्तव के अभ्यावेदन पर 65वां प्रतिवेदन।
- (3) केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन (सीटीएसए) के अंतर्गत केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय (सीएसटी) में श्री सतीश कुमार सिंह की पुनः बहाली का अनुरोध किए जाने के संबंध में उनके अभ्यावेदन पर 66वां प्रतिवेदन।
- (4) एचएमटी, पिंजोर के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने तथा उसकी ट्रेक्टर यूनिट को पुनः आरंभ करने के बारे में सर्वश्री राम शरण कांतिवाल और महेन्द्र सिंह के

अभ्यावेदन के बारे में 53वें प्रतिवेदन में याचिका समिति (16वीं लोक सभा) द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 67वां प्रतिवेदन।

8. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन

एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किये:—

- (1) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के कार्यान्वयन को शासित करने वाले नियमों/विनियमों संबंधी 43वां प्रतिवेदन।
- (2) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत बनाए गए भारतीय विदेश सेवा (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम, 1961 के बारे में समिति के 28वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के बारे में 44वां की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन।

9. कृषि संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री मुकेश राजपूत ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के 'एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्यवर्धन अवसंरचना के लिए स्कीम का कार्यान्वयन' विषय के बारे में 45वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 52वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

10. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के विवरण

डॉ० पी० वेणुगोपाल ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के संबंध में 'अनुदानों की मांगों (2017-2018)' के बारे में 32वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर 42वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों तथा अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही।
- (2) भू-संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के संबंध में 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक' के बारे में 39वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर 49वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के

अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों तथा अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही।

11. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री भैरों प्रसाद मिश्र ने मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की अनुदानों की मांगों (2018-19) पर 305वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 309वां प्रतिवेदन।
- (2) राष्ट्रीय महिला कोष के कार्यक्रम संबंधी 310वां प्रतिवेदन।

12. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-2019) के बारे में समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 41वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (2) पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने निम्नलिखित के बारे में निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखे—
 - (एक) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 195वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
 - (दो) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 222वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (3) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 'मसाला बोर्ड के कार्यकलाप और कार्यक्रम' के बारे में समिति के 138वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा

की-गई-कार्यवाही के संबंध में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 142वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

- (4) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री की ओर से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित “इथनॉल मिला हुआ पेट्रोल और बायो डीजल पॉलिसी” के बारे में स्थायी समिति के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

*अपराह्न 12.24 बजे

13. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों, ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री विक्रम उसेडी द्वारा ट्रेन संख्या 78818 के संचालन के बारे में।
- (2) डॉ॰ उदित राज द्वारा पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के बारे में।
- (3) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के किसानों को मुआवजा प्रदान किए जाने के बारे में।
- (4) श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उत्तर प्रदेश के बांदा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में बरुवा और ओहन बांधों को गादमुक्त किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा देश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में।
- (6) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में सीजीएचएस डिस्पेंसरी खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री निशिकान्त दुबे द्वारा झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में पेय जल की समस्या का समाधान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री ओम बिरला द्वारा कोचिंग केन्द्रों के लिए जीएसटी हटाने या कम किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराह्न 12.09 बजे से अपराह्न 12.24 बजे तक, सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (9) श्री राम टहल चौधरी द्वारा झारखंड के रांची संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय को पुनः आरंभ किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा बिहार के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अस्पतालों में उपचार सुविधाओं के बारे में।
- (11) श्री श्यामा चरण गुप्त द्वारा केन्द्रीय सरकार के विभागों में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति किये जाने के बारे में।
- (12) श्री प्रवेश साहिब सिंह द्वारा दिल्ली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लागू किये जाने के बारे में।
- (13) श्री लक्ष्मी नारायण यादव द्वारा मध्य प्रदेश के सागर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में सरकारी बैंकों द्वारा सिक्के स्वीकार नहीं किये जाने के बारे में।
- (14) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पात्र उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री डी०के० सुरेश द्वारा कर्नाटक के बागवानी किसानों को विशेष वित्तीय पैकेज उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री बी०एन० चन्द्रप्पा द्वारा सूखे से प्रभावित कर्नाटक को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) डॉ० थोकचोम मेन्या द्वारा नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 को वापस लिये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) श्री एम० चन्द्रकाशी द्वारा तमिलनाडु के कड्डालुर जिले में अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण करने के एनएलसी इंडिया के निर्णय की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (19) श्री टी०जी० वेंकटेश बाबू द्वारा तमिलनाडु के चैन्नई में इंटिग्रेटेड स्टोर्म वाटर ड्रेन नेटवर्क का निर्माण किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (20) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा कोलकाता मेट्रो में संरक्षा और सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में।
- (21) श्री निदेश त्रिवेदी द्वारा ग्लोबल हंगर इन्डेक्स और खाद्य सुरक्षा के बारे में।
- (22) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा ओडिशा में एल्यूमिनियम-निर्मित ट्रेनों के लिए इंटिग्रेटेड कोच फैक्टरी की स्थापना किये जाने के बारे में।
- (23) श्री के० राम मोहन नायडू द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में रेल सेवाओं में सुधार लाने जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (24) श्री पी०के० बिजू द्वारा यूजीसी और सीएसआईआर द्वारा जूनियर रिसर्च फेलोशिप की धनराशि में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (25) श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा अनुसूचित जनजाति सूची में 'धनगर' को शामिल किये जाने, विमुक्त पारधी जनजाति को आरक्षण प्रदान किए जाने और लिंगायत समुदाय को ओबीसी का दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (26) श्री तेज प्रताप सिंह यादव द्वारा उत्तर प्रदेश में जिन किसानों की फसलों को आवारा और जंगली पशुओं से नुकसान पहुंचा है, उन्हें मुआवजा प्रदान किए जाने के बारे में।
- (27) श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव) द्वारा पटना-लालगंज-चंपारण मार्ग का नाम 'महात्मा गांधी पथ' रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 12.25 बजे

14. (एक) अंतरिम बजट-2019-20; (दो) लेखानुदानों की मांगें—2019-20; और
(तीन) अनुदानों की अनुपूरक मांगें—2018-19

लिया गया समय : 7 घंटे 32 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदों पर आगे संयुक्त चर्चा एक साथ की गई:—

- (एक) वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पर सामान्य चर्चा।
- (दो) मांग संख्या 1 से 36, 39 से 62, 64 से 70, 72 से 74, 76 से 78 और 80 से 99 के संबंध में वर्ष 2019-20 के लिए लेखानुदानों की मांगें।
- (तीन) वर्ष 2018-19 के लिए बजट के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें - तीसरा बैच सं० 1 से 5, 7 से 16, 18 से 20, 24 से 27, 29, 31, 34 से 36, 42 से 46, 48 से 51, 53 से 62, 64 से 67, 72 से 74, 77, 80 से 82, 84 से 94 और 96 से 99।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

- 1. डॉ० एम० तंबिदुरै
- 2. श्री एम० वीरप्पा मोइली
- #3. श्री जयंत सिन्हा

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराहन 1.43 बजे स्थगित हुई और
अपराहन 2.19 बजे पुनः समवेत हुई।)

[#]सभा के पुनःसमवेत होने के पश्चात् उन्होंने अपना भाषण पुनः आरंभ किया।

अपराहन 2.19 बजे

- *4. श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी
- *5. श्रीमती सुप्रिया सुले
- *6. डॉ० जे० जयवर्धन
- *7. श्री के० अशोक कुमार
- *8. श्रीमती संतोष अहलावत
- *9. श्री राजेशभाई चूडासमा
- *10. श्री शरद त्रिपाठी
- *11. श्रीमती अंजू बाला
- 12. प्रो० सौगत राय
- *13. डॉ० किरिट पी० सोलंकी
- *14. श्री विष्णु दयाल राम
- *15. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल
- *16. श्री निहाल चन्द चौहान
- *17. श्री रामसिंह राठवा
- *18. श्री विनोद कुमार बोइनापल्ली
- *19. श्री रवीन्द्र कुमार जेना
- 20. श्री गजानन कीर्तिकर
- 21. श्री जितेन्द्र चौधरी
- *22. श्री शंकर प्रसाद दत्ता
- 23. डॉ० किरिट सोमैया
- *24. प्रो० चिंता मणि मालवीय
- *25. श्री पी०के० बिजू
- *26. श्री ए० अरुणमणिदेवन

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- *27. श्री पी० कुमार
- *28. श्री एम०बी० राजेश
- 29. श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी
- *30. श्री आर० ध्रुवनारायण
- *31. श्री एम०के० राघवन
- *32. श्री सुमेधानन्द सरस्वती
- *33. श्री राम टहल चौधरी
- 34. श्री एच० डी० देवगौड़ा
- 35. श्री मधुकरराव यशवंतराव कुकडे
- *36. श्री कपिल मोरेश्वर पाटील
- *37. श्रीमती रमा देवी
- *38. श्रीमती रंजनबेन भट्ट
- 39. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु
- *40. प्रो० रिचर्ड हे
- *41. श्री जनार्दन मिश्र
- *42. श्री रत्न लाल कटारिया
- *43. श्री जी० हरि
- *44. श्रीमती दर्शना जरदोश
- *45. श्री लखन लाल साहू
- *46. डॉ० थोकचोम मेन्या
- *47. डॉ० कुलमणि सामल
- 48. श्री राम कुमार शर्मा
- *49. श्री सुनील कुमार सिंह
- 50. श्रीमती रेणुका बुत्ता

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

51. श्रीमती प्रेम सिंह चन्दूमाजरा
- *52. श्री अजय मिश्रा टेनी
- *53. श्री रोड़मल नागर
- *54. श्री वी० सत्यबामा
- *55. श्री डी०के० सुरेश
- *56. श्री आधलराव पाटील शिवाजी राव
57. श्री तेज प्रताप सिंह यादव
58. श्री ई०टी० मोहम्मद बशीर
- *59. श्री एंटो एन्टोनी
- *60. श्री राहुल शेवाले
- *61. श्री पी०सी० गद्दीगौदर
- *62. प्रो० डॉ० ममताजु संघमिता
- *63. डॉ० सुनील बलीराम गायकवाड़
64. कुंवर हरिवंश सिंह
65. श्री कौशलेन्द्र कुमार
- *66. श्री भैरों प्रसाद मिश्र
- *67. श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान
- *68. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
- *69. श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी
- *70. एडवोकेट जोएस जॉर्ज
71. श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन
72. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव
73. श्री असादुद्दीन ओवैसी
- *74. श्री एस० पी० मुदाहनुमे गौड़ा

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- *75. श्रीमती पी० के० श्रीमथि टीचर
- *76. श्रीमती रीती पाठक
- *77. श्री निशिकान्त दुबे
- *78. श्री जुगल किशोर
- *79. श्री नलीन कुमार कटील
- *80. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय
- 81. श्री सी० एन० जयदेवन
- 82. श्री भर्तृहरि महताब
- 83. श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'
- *84. श्री आलोक संजर
- 85. डॉ० शशि थरूर
- *86. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
- *87. डॉ० प्रभास कुमार सिंह
- *88. श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी
- *89. श्री एल० आर० शिवराम गौड़ा
- *90. श्री रामेश्वर तेली
- *91. श्री राजन विचारे
- *92. श्री वी० एलुमलाई
- *93. श्री नाराणभाई काछड़िया
- *94. श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल
- *95. श्रीमती पूनमबेन हेमंतभाई माडम
- *96. श्री जगदम्बिका पाल
- *97. श्री पी० आर० सुन्दरम

श्री पीयूष गोयल ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा दोनों) के संबंध में लेखानुदानों की सभी मांगें संख्या 1 से 36, 39 से 62, 64 से 70, 72 से 74, 76 से 78 और 80 से 99 की वर्ष 2019-20 के लिए लेखानुदानों की मांगों (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

वर्ष 2018-19 के लिए अनुदानों की सभी अनुपूरक मांगें - तृतीय बैच सं० 1 से 5, 7 से 16, 18 से 20, 24 से 27, 29, 31, 34 से 36, 42 से 46, 48 से 51, 53 से 62, 64 से 67, 72 से 74, 77, 80 से 82, 84 से 94 और 96 से 99 (राजस्व लेखे और पूंजीगत लेखे दोनों) वर्ष 2018-19 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों-तीसरा बैच की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शायी गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

15. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019

16. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019

श्री पीयूष गोयल द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पीयूष गोयल द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

17. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग विधेयक, 2019

18. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग विधेयक, 2019

श्री पीयूष गोयल द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पीयूष गोयल द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

सांय 6.47 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 12 फरवरी, 2019 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 12 फरवरी, 2019/23 माघ, 1940 (शक)

संख्या 330

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

सदस्य, जिनके नाम पर तारांकित प्रश्न संख्या 121 सूचीबद्ध था, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर सभा पटल पर रखा। प्रश्न संख्या 121 के अनुपूरक प्रश्न पूछे गये। तारांकित प्रश्न संख्या 122 और 123* के मौखिक उत्तर दिये गये।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.23 बजे स्थगित हुई और
पूर्वाह्न 11.45 बजे पुनः समवेत हुई।)

पूर्वाह्न 11.45 बजे

तारांकित प्रश्न संख्या 124—140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1381—1429 और 1431—1610 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। लोक सभा के वर्तमान सदस्य श्री लड्डू किशोर स्वाई का निधन होने के कारण अतारांकित प्रश्न संख्या 1430 का लोप किया गया।

*पूर्वाह्न 11.47 बजे।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 - (दो) रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2017-2018 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) वर्ष 2017-2018 के लिए संघ सरकार — वित्त लेखे।
 - (दो) वर्ष 2017-2018 के लिए संघ सरकार — विनियोग लेखे (सिविल)।
 - (तीन) वर्ष 2017-2018 के लिए संघ सरकार — रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे।
 - (चार) वर्ष 2017-2018 के लिए संघ सरकार — डाक सेवाओं के विनियोग लेखे।
 - (पाँच) वर्ष 2017-2018 के लिए भारत में रेल के विनियोग लेखे (भाग I — समीक्षा)।
 - (छह) वर्ष 2017-2018 के लिए भारत में रेल के विनियोग लेखे (भाग II — विस्तृत विनियोग लेखे)।
 - (सात) वर्ष 2017-2018 के लिए भारत में रेल के विनियोग लेखे (भाग III — विस्तृत विनियोग लेखे-अनुबंध छ)।
- (4) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक — महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (2018 का संख्यांक 23) (राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर) — भू-संपदा क्षेत्र में निर्धारितियों का निर्धारण।

- (दो) मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2019 का संख्यांक 2) (वित्तीय लेखापरीक्षा) — संघ सरकार के लेखे।
- (5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक—महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) का०आ० 350(अ) जो 19 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित कस्टमाइज्ड उर्वरकों के विनिर्देशनों को अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।
- (दो) का०आ० 351(अ) जो 19 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अक्टूबर, 2017 की अधिसूचना संख्या का०आ० 3225(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तीन) का०आ० 352(अ) जो 19 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अक्टूबर, 2017 की अधिसूचना संख्या का०आ० 3226(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चार) का०आ० 353(अ) जो 19 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित कस्टमाइज्ड उर्वरकों के विनिर्देशनों को अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

- (पांच) का०आ० 4199(अ) जो 29 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित सदस्यों से मिलकर बनी केन्द्रीय उर्वरक समिति का गठन किया गया है।
- (8) (एक) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एण्ड हीयरिंग डिसेबिलिटीज, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एण्ड हीयरिंग डिसेबिलिटीज, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज (दिव्यांगजन), कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज (दिव्यांगजन), कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) नेशनल हैण्डिकैप्ड फाइनेंस एण्ड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन, फरीदाबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल हैण्डिकैप्ड फाइनेंस एण्ड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन, फरीदाबाद का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) नेशनल हैण्डिकैप्ड फाइनेंस एण्ड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन, फरीदाबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हैण्डिकैप्ड फाइनेंस एण्ड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन, फरीदाबाद का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(13) उपर्युक्त (12) की मद सं० (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा विंग, सहायक उप-निरीक्षक (कार्यकारी) भर्ती नियम, 2018, जो 20 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1126(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) गृह मंत्रालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा विंग, सहायक उप-निरीक्षक (मोटर परिवहन), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2018, जो 20 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1127(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) गृह मंत्रालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, पैरा-मेडिकल स्टाफ (काम्बेटाइज्ड), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2018, जो 20 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1126(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(15) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) गृह मंत्रालय, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, नागपुर, फायर एण्ड रेस्क्यू ऑपरेटर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 जो 8 दिसम्बर, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 376 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, नागपुर, स्टेनोग्राफर ग्रेड-II (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 जो 8 दिसम्बर, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 377 में प्रकाशित हुए थे।

- (तीन) नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, नागपुर, लीडिंग फायरमैन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 जो 8 दिसम्बर, 2018 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 378 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) गृह मंत्रालय, डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस एण्ड होम गार्ड्स, डिप्टी फायर एडवाइज़र भर्ती नियम, 2018 जो 8 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 379 में प्रकाशित हुए थे।
- (16) सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 तथा 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 तथा 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) पंद्रहवीं तथा सोलहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

पंद्रहवीं लोक सभा

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1. विवरण संख्या 26 | सातवां सत्र, 2011 |
| 2. विवरण संख्या 29 | आठवां सत्र, 2011 |
| 3. विवरण संख्या 22 | तेरहवां सत्र, 2013 |
| 4. विवरण संख्या 19 | पन्द्रहवां सत्र, 2013-14 |

सोलहवीं लोक सभा

5. विवरण संख्या 17	दूसरा सत्र, 2014
6. विवरण संख्या 17	तीसरा सत्र, 2014
7. विवरण संख्या 16	चौथा सत्र, 2015
8. विवरण संख्या 14	पांचवां सत्र, 2015
9. विवरण संख्या 13	छठा सत्र, 2015
10. विवरण संख्या 11	सातवां सत्र, 2016
11. विवरण संख्या 11	आठवां सत्र, 2016
12. विवरण संख्या 10	नौवां सत्र, 2016
13. विवरण संख्या 8	दसवां सत्र, 2016
14. विवरण संख्या 8	ग्यारहवां सत्र, 2017
15. विवरण संख्या 6	बारहवां सत्र, 2017
16. विवरण संख्या 5	तेरहवां सत्र, 2017-18
17. विवरण संख्या 4	चौदहवां सत्र, 2018
18. विवरण संख्या 3	पन्द्रहवां सत्र, 2018
19. विवरण संख्या 1	सोलहवां सत्र, 2018-19

अपराहन 12.02 बजे

4. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

“मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे माननीय राष्ट्रपति से 10 फरवरी, 2019 का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:—

‘31 जनवरी, 2019 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष मेरे द्वारा दिए गए अभिभाषण के लिए लोक सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए धन्यवाद को मैं सहर्ष स्वीकार करती हूँ।’ ”

अपराह्न 12.03 बजे

5. प्राक्कलन समिति के विवरण

डॉ० मुरली मनोहर जोशी ने निम्नलिखित प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) से संबंधित 'भारत में उच्चतर शिक्षा' विषय पर पच्चीसवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 10वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग) से संबंधित 'जैविक कृषि संबंधी राष्ट्रीय परियोजना' विषय पर 9वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 22वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (3) रक्षा मंत्रालय (पूर्व-सैनिक कल्याण विभाग) से संबंधित 'पूर्व-सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना' विषय पर 20वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 27वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

6. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ० किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2018-19) भारत के संविधान के अनुच्छेद 338(5)(घ) के अंतर्गत प्रस्तुत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच और सरकार के कार्यक्षेत्र के भीतर मामलों के संबंध में संघ सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों से संबंधित 30वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. सरकारी आशवासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

डॉ० रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किये:—

- (1) आयुष मंत्रालय से संबंधित लंबित आशवासनों की समीक्षा के बारे में 91वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

- (2) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 92वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (3) इस्पात मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 93वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (4) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 94वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (5) विदेश मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 95वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (6) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 96वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (7) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 97वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (8) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 98वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (9) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों (माने गए) के बारे में 99वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (10) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों (न माने गए) के बारे में 100वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (11) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 101वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

8. रेल अभिसमय समिति का प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने 'रेलवे वित्त का सामान्य वित्त के साथ विलय-मुद्दे और चुनौतियाँ' विषय पर रेल अभिसमय समिति का 31वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री चन्द्रकांत बी० खैरे ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2018-2019) का बयालीसवां से छियालीसवां प्रतिवेदन (मूल) तथा सैंतालीसवां से इक्कावनवां प्रतिवेदन (की-गई-कार्यवाही) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. रक्षा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री कलराज मिश्र ने 'सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) तथा अन्य एजेंसियों के अंतर्गत अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं और सामरिक क्षेत्रों तक संपर्क सड़कों सहित बारहमासी सड़क संयोजकता का प्रावधान-एक मूल्यांकन' विषय संबंधी पचासवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

11. श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ० किरिट सोमैया ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किये:—

- (1) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित 'जन शिक्षण संस्थान स्कीम (जेएसएसएस)' के बारे में समिति के 41वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 53वां प्रतिवेदन।
- (2) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) में भूमि परिसंपत्ति प्रबंधन' के बारे में समिति के 30वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 54वां प्रतिवेदन।
- (3) 'विभिन्न पीएफ अधिनियमों के कार्यान्वयन की तुलना में हटाई गई श्रेणी पर ईपीएफओ का विनियामक ढांचा' के बारे में समिति के 42वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 55वां प्रतिवेदन।
- (4) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित 'कर्मचारी राज्य बीमा निगम - स्थापनाओं की कवरेज, बकाया राशि की वसूली तथा योजना के अंतर्गत अस्पतालों और औषधालयों का कार्यकरण' के बारे में समिति के 39वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 56वां प्रतिवेदन।

12. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री पिनाकी मिश्रा ने 'खतरनाक अपशिष्ट, चिकित्सा अपशिष्ट और ई-अपशिष्ट सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विषय के बारे में शहरी विकास' संबंधी स्थायी समिति (2018-19) का 25वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

*13. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री विक्रम उसेंडी ने 'भारत में वनों की स्थिति' के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति का 324वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

14. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (2) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने गृह मंत्रालय से संबंधित 'एनडीएमसी में बारहमासी प्रकृति की नौकरियों के लिए संविदा/नैमेत्तिक सफाई कर्मकारों की तैनाती' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (3) विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री ने विदेश मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित 'नर्सों और सेविकाओं सहित महिला कर्मकारों का विदेश में नियोजन, मुद्दे और विनियामक ढांचा' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (4) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने गृह मंत्रालय से संबंधित मूसलाधार वर्षा और उसके बाद आई बाढ़ के कारण चेन्नई में आपदा के बारे में समिति के 198वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 208वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

*अपराह्न 12.18 बजे।

*अपराहन 12.22 बजे

15. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने 'राफेल सौदा' के बारे में निवेदन किया।

#श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराहन 1.34 बजे स्थगित हुई और अपराहन 3.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 3.00 बजे

16. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा देश में नए चिकित्सा संस्थान खोले जाने के बारे में।
- (2) श्री शरद त्रिपाठी द्वारा राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल द्वारा रूधौली चीनी मिल पर शास्ति लगाए जाने के बारे में।
- (3) श्री लखन लाल साहू द्वारा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित चकरभाठा विमानपत्तन से विमान सेवाएं प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री राहुल कस्वां द्वारा राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वायुसेना ग्राउण्ड रेंज की स्थापना के संबंध में किसानों को मुआवजा दिए जाने के बारे में।
- (5) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा दामोदर घाटी निगम के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति और भूमि विस्थापितों के पुनर्वास के बारे में।
- (6) डॉ० रवीन्द्र कुमार राय द्वारा झारखण्ड के कोडरमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने के बारे में।
- (7) डॉ० बंशीलाल महतो द्वारा छत्तीसगढ़ कोरबा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं एवं यात्री सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) डॉ० किरीट सोमैया द्वारा महाराष्ट्र के मुम्बई उत्तर-पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में

*अपराहन 12.08 बजे से अपराहन 1.34 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

#गृह मंत्री।

सात पेट्रोल पम्प खोले जाने के बारे में।

- (9) श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा द्वारा गुजरात में कोसंबा-उमरपाडा तथा लिम्बाडा और आसरमा रेल लाईन पर भूमिगत पारपथ बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा पॉक्सो अधिनियम के बारे में।
- (11) श्रीमती जयश्रीबेन के० पटेल द्वारा गुजरात के मेहसाणा जिले में एक नया केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) डॉ० सत्यपाल सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के सम्भल जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंक/बीमा कम्पनी की शाखा खोले जाने के बारे में।
- (14) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा गुजरात के सूरत नगर निगम में आवास योजना के आवंटियों को क्रेडिट लिंकड सब्सिडी स्कीम का लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) डॉ० किरिट पी० सोलंकी द्वारा कुष्ठ रोग के ईलाज के लिए धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री रामेश्वर तेली द्वारा असम के छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किए जाने के बारे में।
- (17) श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा बिहार की रेल परियोजनाओं के बारे में।
- (18) श्री आर० धुवनारायण द्वारा कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रम अपनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (19) श्रीमती एम० वसन्ती द्वारा तमिलनाडु के कोर्टल्लम को पर्यटक स्थल के रूप में बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (20) श्री आर० गोपालकृष्णन द्वारा ईट विनिर्माताओं को कराधान के “कम्पाउण्डिंग” तरीके को चुनने की अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (21) प्रो० (डॉ०) ममताज्ञ संघमिता द्वारा पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्थित माइनिंग

एण्ड एलाइड कॉरपोरेशन को पुनः खोले जाने के बारे में।

- (22) प्रो० सौगत राय द्वारा छह विमानपत्तनों के निजीकरण पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (23) श्री रामचन्द्र हांसदा द्वारा ओडिशा के मयूरभंज जिले में रेल सेवाओं के बारे में।
- (24) श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा भूमि अर्जन के कारण विस्थापित हुए मछुआरों को मुआवजा दिए जाने के बारे में।
- (25) श्री जैदेव गल्ला द्वारा दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (26) श्री राधेश्याम बिश्वास द्वारा असम के करीमगंज जिले में सोन भील को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने के बारे में।
- (27) श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा क्षतिग्रस्त फसलों के बीमा दावे को प्राप्त करने में हरियाणा के किसानों के समक्ष आ रही कठिनाईयों के बारे में।
- (28) एडवोकेट जोएस जॉर्ज द्वारा काली मिर्च के आयात शुल्क के कथित अपवंचन के बारे में।
- (29) श्री नव कुमार सरनीया द्वारा बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिलों के लिए विशेष पैकेज दिए जाने के बारे में।

अपराह्न 3.03 बजे

17. सरकारी विधेयक—पारित

वित्त विधेयक, 2019

लिया गया समय: 3 घंटे 59 मिनट

श्री पीयूष गोयल द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री के०सी वेणुगोपाल
2. श्री निशिकान्त दुबे
3. श्री पी०आर० सुन्दरम

4. प्रो० सौगत राय
5. श्री अलफोन्स कन्ननथनम
6. श्री कलिकेश एन० सिंह देव
7. श्री अरविंद सावंत
8. डॉ० बूरा नरसैय्या गौड
9. श्री एम०बी० राजेश
10. श्री ओम बिरला
11. श्री रामचन्द्र हाँसदा
12. श्री कौशलेन्द्र कुमार
13. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव
14. श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन
15. प्रो० के०वी० थॉमस
16. डॉ० रवीन्द्र कुमार राय
17. श्री भगवंत मान

श्री पीयूष गोयल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 7 स्वीकृत हुए।

खंड 8 से 22 स्वीकृत हुए।

खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पीयूष गोयल ने विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

सायं 7.02 बजे

(लोक सभा बुधवार, 13 फरवरी, 2019 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक
के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

7 फरवरी, 2019 के समाचार भाग - 1,

संख्या 327 का

शुद्धिपत्र

पृष्ठ 13 पंक्ति 9 में, क्रमांक '16 श्री रमेश बिधूड़ी' का लोप किया जाए।

11 फरवरी, 2019 के समाचार भाग - 1,

संख्या 329 का

शुद्धिपत्र

पृष्ठ 22, पंक्ति 25, में 'श्री निदेश त्रिवेदी' के स्थान पर 'श्री दिनेश त्रिवेदी' तथा पृष्ठ 26,
पंक्ति 1 में, 'श्रीमती प्रेम सिंह चन्दूमाजरा' के स्थान पर 'श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा' पढ़ा जाए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 13 फरवरी, 2019/24 माघ, 1940 (शक)

संख्या 331

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने दसवीं लोक सभा के सदस्य, श्री कुंजी लाल के निधन के बारे में उल्लेख किया। तत्पश्चात्, दिवंगत आत्मा के सम्मान में सदस्य थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 141 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.06 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

मध्याह्न 12.00 बजे

तारांकित प्रश्न संख्या 142—160 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1611—1840 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) नार्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, शिलांग के वर्ष 2013-2014 और 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नार्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, शिलांग के वर्ष 2013-2014 और 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 26 की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
 - (एक) मजदूरी संदाय (खान) (संशोधन) नियम, 2019 जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 53(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) मजदूरी संदाय (रेल) संशोधन नियम, 2019 जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 54(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) मजदूरी संदाय (वायु परिवहन सेवाएं) (संशोधन) नियम, 2019 जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 55(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (चार) न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय) संशोधन नियम, 2019 जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 56(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (पांच) प्रसूति प्रसुविधा (खान और सर्कस) संशोधन नियम, 2019 जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 57(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (छह) बोनस का संदाय (संशोधन) नियम, 2019 जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 58(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) औद्योगिक विवाद केंद्रीय संशोधन नियम, 2019 जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 59(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (4) (एक) फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, गाजियाबाद के वर्ष 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, गाजियाबाद के वर्ष 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 और 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) संविधान के अनुच्छेद 323(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे—
- (एक) वर्ष 2016-2017 के लिए संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली का 67वां वार्षिक प्रतिवेदन।
- (दो) प्रतिवेदन के अध्याय 9 में सूचित मामलों के संबंध में आयोग की सलाह अस्वीकृत किए जाने के कारण स्पष्ट करने वाला ज्ञापन।
- (7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) अंडमान एंड निकोबार आईलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) अंडमान एंड निकोबार आईलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (14) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा प्रबंधन (उधार लेना तथा उधार देना) विनियम, 2018, जो 17 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि 1213(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) संविधान के अनुच्छेद 151(अ) के अंतर्गत संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) वायु सेना (2019 का संख्यांक 3) — भारतीय वायु सेना में पूंजीगत अधिग्रहण के बारे में निष्पादन लेखापरीक्षा — भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (16) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) वर्ष 2017 के लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15क (4) के अंतर्गत प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) नेशनल रुरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल रुरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) उपर्युक्त (20) में, उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) हसन मंगलौर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हसन मंगलौर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (24) प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इंश्योरेंस ब्रोकर्स) (पहला संशोधन) विनियम, 2018 जो 25 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ०सं० आईआरडीएआई/रेग./2/153/2019 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23क की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) का०आ० 449(अ) जो 25 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आर्यावर्त ग्रामीण बैंक तथा इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक के आर्यावर्त बैंक के रूप में समामेलन के बारे में है।
- (दो) का०आ० 476(अ) जो 28 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पल्लवन ग्राम बैंक और पांडयन ग्राम बैंक के तमिलनाडु ग्राम बैंक के रूप में समामेलन के बारे में है।
- (तीन) का०आ० 567(अ) जो 31 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो वनांचल ग्रामीण बैंक तथा झारखंड ग्रामीण बैंक के झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के रूप में समामेलन के बारे में है।
- (चार) का०आ० 291(अ) जो 14 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो नर्मदा झुबुआ ग्रामीण बैंक तथा केंद्रीय मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के रूप में समामेलन के बारे में है।
- (पांच) का०आ० 6408(अ) जो 31 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 21 दिसंबर, 2018 की अधिसूचना सं० का० आ० 6254(अ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।
- (27) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 19 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० एसएचजीबी/ एचआरडीडी/2018/3483 में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 19 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० एसएचजीबी/एचआरडीडी/2018/3484 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 22 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एसयूपीजीबी 1/2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) सर्व यू०पी० ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 22 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० एसयूपीजीबी 2/2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) मेघालय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 18 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एमईजीआरआरबी/सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) मेघालय ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 18 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एमईजीआरआरबी/पेंशन विनियम, 2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 21 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० आरएमजीबी एसआर संशोधन, 2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 21 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० आरएमजीबी पेंशन विनियम, 2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) झारखंड ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 27 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० जेजीबी/सेवा (संशोधन)/2018-19 में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) झारखंड ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 27 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० जेजीबी/पेंशन/2018-19 में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 12 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० सीजीजीबी/सेवा (संशोधन)/2018-19 में प्रकाशित हुए थे।

- (बारह) चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 12 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० सीजीजीबी०/पेंशन/2018-19 में प्रकाशित हुए थे।
- (तेरह) आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 13 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एपीजीवीबी-एसआर- संशोधन/2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (चौदह) आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 13 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० एपीजीवीबी-पेंशन/2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (पंद्रह) कावेरी ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 20 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० केजीबी (सेवा संशोधन विनियम, 2018) में प्रकाशित हुए थे।
- (सोलह) कावेरी ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 20 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० केजीबी (पेंशन विनियम) 2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (सत्रह) मध्यांचल ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 17 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एम०जी०बी० सेवा (संशोधन)/ विनियम, 2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (अठारह) मध्यांचल ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 17 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एम०जी०बी० पेंशन विनियम, 2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (उन्नीस) तेलंगाना ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 18 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० टीजीबी एसएसआर (संशोधन) 2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (बीस) तेलंगाना ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 18 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० टीजीबी पेंशन विनियम, 2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (इक्कीस) केरल ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 31 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० केजीबी/पेंशन विनियम 2018 में प्रकाशित हुए थे।

- (बाईस) केरल ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 31 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० केजीबी/पेंशन विनियम, 2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (तेईस) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 18 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० वीकेजीबी/सेवा (संशोधन) विनियम 2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (चौबीस) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 18 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० वीकेजीबी/पेंशन विनियम, 2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (पच्चीस) प्रथमा बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 20 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० 1-एसआर-संशोधन/ 2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (छब्बीस) प्रथमा बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 20 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० 1-पेंशन/2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (सत्ताईस) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 03 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एचओ/टीबीसी/11/2018-19/877 में प्रकाशित हुए थे।
- (अट्ठाईस) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 03 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एचओ/टीबीसी/11/ 2018-19/877 में प्रकाशित हुए थे।
- (उनतीस) आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 11 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० एपीजीबी-एसआर- संशोधन 2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीस) आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 11 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० एपीजीबी-पेंशन 2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (इकतीस) इलाहाबाद यू०पी० ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 07 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एयूपीजीबी/सेवा (संशोधन 2018) में प्रकाशित हुए थे।

- (बत्तीस) इलाहाबाद यू०पी० ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 07 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एयूपीजीबी/पेंशन विनियम/ 2018-19 में प्रकाशित हुए थे।
- (तैंतीस) ओडिशा ग्राम्य बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 12 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सीएच/एचआरडी/496/2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (चौतीस) ओडिशा ग्राम्य बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 12 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सीएच/एचआरडी/497/2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (पैंतीस) असम ग्रामीण विकास बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 24 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एजीवीबी/पीईआर/ ईएसटीटी-बी/08/02/2018-19 में प्रकाशित हुए थे।
- (छत्तीस) असम ग्रामीण विकास बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 24 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० एजीवीबी/पीईआर/ ईएसटीटी-बी/ 08/02/2018-19 में प्रकाशित हुए थे।
- (सैंतीस) देना गुजरात बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 19 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० डीजीजीबी/एचओ/ पीईआर/1209/ 2018-19 में प्रकाशित हुए थे।
- (अड़तीस) देना गुजरात ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 19 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० डीजीजीबी/एचओ/ पीईआर/1209/2018-19 में प्रकाशित हुए थे।
- (उन्तालीस) मणिपुर ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 17 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एमआरबी/ ओईएसआर/ए/2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (चालीस) मणिपुर ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 17 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० एमआरबी/ईपीआर/ एक/2018 में प्रकाशित हुए थे।

- (इक्तालीस) नागालैंड ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 17 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एनआरबी/सेवा (संशोधन) विनियम 2018-19 में प्रकाशित हुए थे।
- (बयालीस) नागालैंड ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 17 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० एनआरबी/पेंशन विनियम 2018-19 में प्रकाशित हुए थे।
- (तैतालीस) पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 5 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० पीबीजीबी/सेवा (संशोधन) विनियम 2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (चवालीस) पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 5 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० पीबीजीबी/पेंशन विनियम 2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (पैंतालीस) छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 26 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सेवा (संशोधन) विनियम 2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (छियालीस) छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 26 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० पेंशन विनियामक 2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (सैंतालीस) जम्मू व कश्मीर ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 28 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० जेकेजीबी/एचआरडीडी/ 2018-4318 में प्रकाशित हुए थे।
- (अड़तालीस) जम्मू व कश्मीर ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 28 नवंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० जेकेजीबी/एचआरडीडी/2018-4319 में प्रकाशित हुए थे।
- (उनचास) वनांचल ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 17 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० वीजीबी/सेवा (संशोधन)/2018-19 में प्रकाशित हुए थे।
- (पचास) वनांचल ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 17 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० वीजीबी/पेंशन/2018-19 में प्रकाशित हुए थे।

- (इक्यावन) उत्तराखंड ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 13 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० यूजीबी/सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (बावन) उत्तराखंड ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 13 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० यूजीबी/पेंशन विनियम/2018-19 में प्रकाशित हुए थे।
- (तिरपन) महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 12 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एमजीबी/सेवा संशोधन विनियम, 2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (चौवन) महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन, 2018 जो 12 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एमजीबी/पेंशन विनियम, 2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (पचपन) काशी गोमती सम्युत ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 11 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० केजीएसजीबी/ एचओ/एचआरआईआर/1244/2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (छप्पन) काशी गोमती सम्युत ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 11 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० केजीएसजीबी/एचओ/ एचआरआईआर/ 1244/2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (सत्तावन) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 20 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० केवीजीबी/सेवा (संशोधन) विनियम/2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (अट्ठावन) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 20 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० केवीजीबी/पेंशन विनियम/2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (उनसठ) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 4 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० बीआरकेजीबी/ 2018-19/एचआरएम/21421 में प्रकाशित हुए थे।

- (साठ) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 4 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० बीआरकेजीबी/2018-19/ एचआरएम/21422 में प्रकाशित हुए थे।
- (इकसठ) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 13 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० 238/02/2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (बासठ) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 13 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० 238/03/2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (तिरसठ) उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 10 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० यूबीकेजीबी/सेवा विनियम, (संशोधन)/2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (चौंसठ) उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 10 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० यूबीकेजीबी/पेंशन विनियम, 2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (पैंसठ) अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 4 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० जीएन/142/1963 में प्रकाशित हुए थे।
- (छियासठ) अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 4 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० जीएन/142/1962 में प्रकाशित हुए थे।
- (सड़सठ) पूर्वांचल बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 5 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० पी०बी० (सेवा संशोधन विनियम 2018) में प्रकाशित हुए थे।
- (अड़सठ) पूर्वांचल बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 5 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० पी०बी० (सेवा संशोधन विनियम 2018) में प्रकाशित हुए थे।

- (उनहत्तर) पांडयन ग्राम बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 18 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० पीजीबी/सेवा (संशोधन)/2018-19 में प्रकाशित हुए थे।
- (सत्तर) पांडयन ग्राम बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 18 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० पीजीबी/पेंशन विनियम/2018-19 में प्रकाशित हुए थे।
- (एकहत्तर) एलाक्वाई देहाती बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 5 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० ईडीबी/1016/सेवा संशोधन विनियम, 2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (बहत्तर) एलाक्वाई देहाती बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 5 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० ईडीबी/1015/पेंशन विनियम, 2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (तिहत्तर) प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 18 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० पीकेजीबी/सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (चौहत्तर) प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 18 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० पीकेजीबी/पेंशन विनियम, 2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (पचहत्तर) पुडुवई भरतियार ग्राम बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 27 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० पुडुवई भरतियार ग्राम बैंक/पेंशन/संशोधन/01/2018-19 में प्रकाशित हुए थे।
- (छिहत्तर) पुडुवई भरतियार ग्राम बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 27 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० पुडुवई भरतियार ग्राम बैंक/पेंशन/संशोधन/01/2018-19 में प्रकाशित हुए थे।
- (सतहत्तर) लांगपी देहंगी ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 31 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० आरआरबी/37/पीईआर एंड एचआर/779 में प्रकाशित हुए थे।

- (अठहत्तर) लागंपी देहंगी ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 31 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ०सं०आरआरबी/37/पीईआर एंड एचआर/779 में प्रकाशित हुए थे।
- (उन्नासी) बंगिया ग्रामीण विकास बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 10 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० बीजीवीबी/सेवा (संशोधन) विनियम 2018-19 में प्रकाशित हुए थे।
- (अस्सी) बंगिया ग्रामीण विकास बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 10 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० बीजीवीबी/पेंशन विनियम 2018-19 में प्रकाशित हुए थे।
- (इक्कासी) उत्कल ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 24 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ०सं० पीईआर/1678(1) में प्रकाशित हुए थे।
- (बयासी) उत्कल ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 24 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ०सं० पीईआर/1678(2) में प्रकाशित हुए थे।
- (तिरासी) बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 12 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ०सं० बीयूपीजीबी/सेवा संशोधन विनियम 2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (चौरासी) बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 12 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ०सं० बीयूपीजीबी/ पेंशन विनियम, 2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (पिचासी) हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 3 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ०सं० एचपीजीएच/ एचओ/एचआरडी/2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (छियासी) हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 3 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एचपीजीएच/एचओ/ एचआरडी/2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (सत्तासी) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 21 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० बीजीजीबी/एचओ/एचआरएम: 14:1232 दिनांक 27/11/2018 में प्रकाशित हुए थे।

- (अठासी) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 21 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० बीजीजीबी/एचओ/एचआरएम:14:1232 दिनांक 27/11/2018 में प्रकाशित हुए थे।
- (नवासी) सप्तगिरि ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 6 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ०सं० एसजीबी/सेवा (संशोधन)/2018-19 में प्रकाशित हुए थे।
- (नब्बे) सप्तगिरि ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 6 दिसंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना एफ सं० एसजीबी/पेंशन/2018-19 में प्रकाशित हुए थे।
- (इक्यानवे) आर्यावर्त ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 जो 27 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ०सं० जीबीए/सेवा (संशोधन)/2018-19 में प्रकाशित हुए थे।
- (बानवे) आर्यावर्त ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 जो 27 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ सं० जीबीए/पेंशन/2018-19 में प्रकाशित हुए थे।
- (28) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) मेडिकल डिवाइसेस (संशोधन) नियम, 2019 जो 15 जनवरी 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 30(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) औषधि और प्रसाधन सामग्री (तीसरा संशोधन) नियम, 2019 जो 25 जनवरी 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 47(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (29) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) (एक) राष्ट्रीय वाहन परीक्षण और शोध एवं विकास अवसंरचना परियोजना, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय वाहन परीक्षण और शोध एवं विकास अवसंरचना परियोजना, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (37) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (क) (एक) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ख) (एक) बड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) बड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (38) उपर्युक्त (37) की मद सं० (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) का०आ० 170(अ) जो 10 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मेघालय राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 (जोवई से मेघालय तथा असम सीमा खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।
 - (दो) का०आ० 298(अ) जो 14 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 (इलाहाबाद से उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश सीमा खण्ड) के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।
 - (तीन) का०आ० 299(अ) जो 14 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 मार्च, 2014 की अधिसूचना संख्या का०आ० 895(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
 - (चार) का०आ० 415(अ) जो 24 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 फरवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या का०आ० 353(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (पांच) का०आ० 508(अ) जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 116 (टोंक-सवाईमाधोपुर खण्ड) के प्रयोक्ताओं से ईपीसी आधार पर वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।
- (40) (एक) इंडिया इंटरनेशनल कंनवेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडिया इंटरनेशनल कंनवेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) का०आ० 3941(अ) जो 8 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 2.05 में संशोधन बारे में है।
- (दो) का०आ० 3999(अ) जो 17 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पेटकोक की आयात नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।
- (तीन) का०आ० 4054(अ) जो 21 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जैव ईंधन की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (चार) का०आ० 4197(अ) जो 28 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 17 अगस्त, 2018 की अधिसूचना सं० 25/2020(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।
- (पांच) का०आ० 4210(अ) जो 29 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 7 के अंतर्गत मटर की आयात नीति में संशोधन संबंधी दिनांक 02.07.2018 की अधिसूचना सं० 15 को वापस लिए जाने के बारे में है।

- (छह) का०आ० 4214(अ) जो 30 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 7 के अंतर्गत मटर की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (सात) का०आ० 4883(अ) जो 17 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 9 के अंतर्गत श्रेणीबद्ध काली मिर्च की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (आठ) का०आ० 5016(अ) जो 28 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 7 के अंतर्गत मटर की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (नौ) का०आ० 5017(अ) जो 28 सितंबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पेटकोक की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (दस) का०आ० 5105(अ) जो 3 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 29 और 30 के अंतर्गत कतिपय मर्दों की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (ग्यारह) का०आ० 5146(अ) जो 5 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 31 के अंतर्गत यूरिया की नीति की शर्तों में संशोधन के बारे में है।
- (बारह) का०आ० 5375(अ) जो 23 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पेटकोक की आयात नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।
- (तेरह) का०आ० 5881(अ) जो 30 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अंतर्गत एचएस कोड 7108 12 00 के अंतर्गत मर्दों की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (43) (एक) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) (एक) हिमालयन माउटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) हिमालयन माउटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 2017-18 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स, डिरांग के वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स, डिरांग के वर्ष 2017-18 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) (एक) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, भोपाल के वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, भोपाल के वर्ष 2017-18 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (51) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अगरतला, अगरतला के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अगरतला, अगरतला के वर्ष 2016-17 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (53) (एक) गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2017-18 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (55) (एक) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (57) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टिट्यूट्स, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 से 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टिट्यूट्स, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 से वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

- (59) (एक) वेस्ट बंगाल सोसाइटी फॉर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वेस्ट बंगाल सोसाइटी फॉर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (61) (एक) कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (63) (एक) हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (65) उड़ीसा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (67) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (69) इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक के 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (71) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (72) उपर्युक्त (71) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (73) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन (भाग-I एवं भाग II) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (74) उपर्युक्त (73) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (75) (एक) चण्डीगढ़ सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी, चण्डीगढ़ के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) चण्डीगढ़ सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी, चण्डीगढ़ के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (76) उपर्युक्त (75) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (77) नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमामी के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (78) उपर्युक्त (77) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (79) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोटा के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोटा के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (80) उपर्युक्त (79) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (81) (एक) ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (82) उपर्युक्त (81) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (83) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चित्तूर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चित्तूर के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (84) उपर्युक्त (83) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (85) (एक) विश्व-भारती, शान्ति निकेतन के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) विश्व-भारती, शान्ति निकेतन के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) विश्व-भारती, शान्ति निकेतन के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (86) उपर्युक्त (85) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (87) (एक) मणिपुर, विश्वविद्यालय, कांचीपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मणिपुर, विश्वविद्यालय, कांचीपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (88) उपर्युक्त (87) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (89) (एक) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (90) उपर्युक्त (89) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (91) (एक) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (92) उपर्युक्त (91) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (93) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (94) उपर्युक्त (93) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (95) (एक) झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रांची के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रांची के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 (तीन) झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रांची के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (96) उपर्युक्त (95) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (97) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 (तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (98) उपर्युक्त (97) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (99) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 43 की उपधारा (2) के अंतर्गत झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) परिनियम, 2017, जो 11 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं० सीयूजे/परिनियम/1/2010 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (100) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन प्रदान करना) विनियम, 2018, जो 2 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं० एबी/एआईसीटीई/आरईजी/2018 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (101) भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 की धारा 37 के अंतर्गत भारतीय प्रबंधन संस्थान नियम, 2018 के परिनियम, जो 6 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकांनि० 1181(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (102) उपर्युक्त (101) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

#5. राज्य सभा से संदेश

- (एक) कि राज्य सभा ने 13 फरवरी, 2019 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 7 जनवरी, 2019 को पारित स्वीय विधि (संशोधन) विधेयक, 2019 को संशोधनों के साथ पारित किया और विधेयक को इस अनुरोध के साथ लोक सभा को लौटा दिया कि उक्त संशोधन पर लोक सभा की सहमति से राज्य सभा को सूचित की जाए।
- (दो) कि अपनी 13 फरवरी, 2019 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया।

6. राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

स्वीय विधि (संशोधन) विधेयक, 2019

7. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2019

8. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की बैठक का कार्यवाही-सारांश

डॉ० एम० तंबिदुरै ने वर्तमान सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की हुई 46वीं बैठक का कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

9. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री गणेश सिंह ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित 'केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का 20वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का विवरण

श्री गणेश सिंह ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित 'भारतीय खाद्य निगम में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में समिति के 11वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही पर अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के 15वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

11. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती विजया चक्रवर्ती ने महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2018-19) के निम्नलिखित मूल प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

- (1) 'महिलाओं के लिए योग और खेलकूद सुविधाएं' विषय के बारे में 14वां प्रतिवेदन।
- (2) 'विद्यालयों में महिला शिक्षकों की कार्य दशाएं' विषय के बारे में 15वां प्रतिवेदन।
- (3) 'उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान एवं विकास-महिलाओं के लिए संभावनाएं' विषय के बारे में 16वां प्रतिवेदन।

12. रक्षा संबंधी स्थायी समिति के की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण

श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) 'रक्षा सेवाओं, अधिप्रापण नीति और रक्षा आयोजना संबंधी पूंजीगत परिव्यय (मांग संख्या 23) के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2016-17 की अनुदानों की मांगों' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) का 27वां प्रतिवेदन।
- (2) 'थल सेना, नौसेना और वायु सेना के राजस्व बजट (मांग संख्या 20) से संबंधित रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2017-18 की अनुदानों की मांगों' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) का 35वां प्रतिवेदन।
- (3) "रक्षा सेवाओं, अधिप्रापण नीति और रक्षा आयोजना संबंधी पूंजीगत परिव्यय (मांग संख्या 21) के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2017-18 की अनुदानों की मांगों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) का 36वां प्रतिवेदन।
- (4) आयुध निर्माणियों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) और राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) (मांग संख्या 20) के बारे में वर्ष 2017-18 की अनुदानों की मांगों' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) का 38वां प्रतिवेदन।
- (5) 'दंत चिकित्सा सेवाओं सहित सशस्त्र बलों के लिए चिकित्सा सेवाओं का प्रावधान' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) का 39वां प्रतिवेदन।

13. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ० शशि थरूर ने विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति (2018-19) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किये:—

- (1) विदेश मंत्रालय की वर्ष 2018-19 की अनुदानों की मांगों के बारे में 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 24वां प्रतिवेदन।

- (2) 'डोकलाम, सीमा स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सहयोग सहित चीन-भारत संबंध' विषय के बारे में 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 25वां प्रतिवेदन।

14. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ० एम० वीरप्पा मोइली ने वित्त स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किये:—

- (1) 'आपदा प्रबंधन और राहत के लिए केन्द्रीय सहायता' संबंधी 71वां प्रतिवेदन।
- (2) 'देश में क्रेडिट रेटिंग फ्रेमवर्क का सुदृढ़ीकरण' संबंधी 72वां प्रतिवेदन।

15. श्रम संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ० किरीट सोमैया ने दिशा-निर्देश, निगरानी, रेटिंग और विनियामक प्रणाली, बांडों और ऐसे लिखतों में निवेश की स्थिति - (पीएफ फंडों, पेंशन फंडों द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग और वित्तीय सेवाओं) (आईएलएंडएफएस) के 'उदाहरण' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का 57वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

16. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री आनंदराव अडसुल ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किये:—

- (1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) के 'औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के विशेष संदर्भ में दवाइयों के मूल्य' विषय संबंधी 54वां प्रतिवेदन।
- (2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) के 'भेषज क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों में मूलभूत, अनुप्रयुक्त और अन्य अनुसंधान का संवर्धन और समन्वय' विषय के बारे में 46वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 55वां प्रतिवेदन।

17. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

प्रो० चिंतामणि मालवीय ने 'खान मंत्रालय के अंतर्गत सरकार क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सीएसआर कार्यकलाप' के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 49वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

18. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री रमेश बैस ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) के “राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) की सूक्ष्म-ऋण वित्त योजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन” के बारे में समिति के 54वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2018-19) का 67वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

19. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ फारूख अब्दुल्ला ने “भारतीय उद्योग पर चीनी माल का प्रभाव” के बारे में समिति के 145वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 149वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

20. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्री और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 310वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही पर समिति के 318वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (2) श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित ‘शामिल न की गई श्रेणी के संबंध में ईपीएफओ के विनियामक ढांचे की तुलना में विभिन्न भविष्य निधि अधिनियमों का कार्यान्वयन’ के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 42वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (3) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 45वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (4) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री की ओर से ग्रामीण

विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 42वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

- (5) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित “जन शिक्षण संस्थान योजना” के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 41वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य देंगे।
- (6) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय से संबंधित “त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की समीक्षा” के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (7) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री की ओर से निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे—
 - (एक) रक्षा मंत्रालय से संबंधित “पूर्व सैनिकों का पुनर्वासन” के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
 - (दो) रक्षा मंत्रालय से संबंधित “सशस्त्र बलों के लिए दंत चिकित्सा सेवाओं सहित चिकित्सा सेवाओं का प्रावधान” के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

*अपराहन 12.15 बजे

21. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री धर्मेन्द्र यादव ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संसद सदस्यों के साथ की गई कथित धक्कामुक्की के बारे में निवेदन किया।

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन और श्रीमती सुप्रिया सुले सहयोजित हुए।

*अपराहन 12.15 बजे से अपराहन 12.19 बजे तक, सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

#श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.19 बजे

22. सरकारी विधेयक — पारित

(एक) अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक, 2018

लिया गया समय: 38 मिनट

श्री पीयूष गोयल द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अधीर रंजन चौधरी
2. डॉ॰ किरीट सोमैया
3. श्री आनंदराव अडसुल
4. श्री मोहम्मद सलीम
5. श्री वेंकटेश बाबू टी॰जी॰
6. डॉ॰ भर्तृहरि महताब
7. प्रो॰ सौगत राय
8. श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी
9. श्रीमती सुप्रिया सुले
10. डॉ॰ फारुक अब्दुल्ला
11. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
12. श्री दुष्यंत चौटाला
13. श्री कौशलेन्द्र कुमार
14. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव
15. श्रीमती रेणुका बुत्ता

श्री पीयूष गोयल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 3 और 4 स्वीकृत हुए।

खण्ड 5, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 6 से 8 स्वीकृत हुए।

खण्ड 9, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 10 से 12 स्वीकृत हुए।

खंड 13 और 14 स्वीकृत हुए।

खंड 15 और 16 स्वीकृत हुए।

खंड 17 स्वीकृत हुआ।

खंड 18 से 42 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री पीयूष गोयल ने विधेयक, यथासंशोधित पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया।

अपराह्न 12.58 बजे

(दो) जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2018

लिया गया समय: 1 घंटा 19 मिनट

डॉ॰ महेश शर्मा द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ शशि थरूर
2. श्री निशिकान्त दुबे
3. प्रो॰ (डॉ॰) सुगत बोस

4. श्री भर्तृहरि महताब
5. श्रीमती हरसिमतर कौर बादल
6. श्री अरविंद सावंत
7. श्री एम०बी० राजेश
8. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा

डॉ० महेश शर्मा में वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

डॉ० महेश शर्मा ने विधेयक, यथासंशोधित, पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया।

(लोक सभा अपराहन 2.17 बजे स्थगित हुई और अपराहन 3.02 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 3.02 बजे

23. सरकारी विधेयक पर राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन—सहमति हुई

#स्वीय विधि (संशोधन) विधेयक, 2019

श्री रवि शंकर प्रसाद ने लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधन पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

अधिनियमन सूत्र

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, में “उनहत्तरवें” शब्द के स्थान पर “सत्तरवें” शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

#विधेयक 7 जनवरी, 2019 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया तथा इसे राज्य सभा की सहमति के लिए प्रेषित किया गया। राज्य सभा ने 13 फरवरी, 2019 को हुई अपनी बैठक में विधेयक को संशोधन के साथ पारित किया और उसे उसी दिन लोक सभा को लौटा दिया।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रवि शंकर प्रसाद ने यह प्रस्ताव पेश किया कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन से सभा सहमत हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और सभा संशोधन से सहमत हुई।

अपराह्न 3.05 बजे

24. विदाई संबंधी उल्लेख

निम्नलिखित सदस्यों ने 16वीं लोक सभा के सत्रहवें सत्र के समापन पर विदाई संबंधी उल्लेख किया:—

1. श्री के०सी० वेणुगोपाल
2. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
3. श्री भर्तृहरि महताब
4. श्री आनंदराव अडसुल
5. श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी
6. श्री पी० करुणाकरन
7. श्री मुलायम सिंह यादव
8. श्री रामविलास पासवान
9. श्रीमती सुप्रिया सुले
10. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
11. श्री एच०डी० देवगौडा
12. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
13. श्री कौशलेन्द्र कुमार
14. श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन
15. श्री दुष्यंत चौटाला

16. डॉ० एम० तंबिदुरै (उपाध्यक्ष)

17. श्री नरेन्द्र मोदी (प्रधान मंत्री)

तत्पश्चात्, अध्यक्ष ने विदाई संबंधी उल्लेख किया।

सायं 5.15 बजे

25. राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

सायं 5.17 बजे

(लोक सभा अपराह्न 5.17 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव